



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 9, 2019/पौष 19, 1940
No. 17] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 9, 2019/PAUSHA 19, 1940

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2019

सा.का.नि. 17(अ).—विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 18 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, विस्फोटक नियम, 2008 का संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि 1440(अ), तारीख 20 नवम्बर, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियाँ जो जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ 20 नवम्बर, 2017 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों पर जनता से प्राप्त आक्षेपों या सुझावों पर सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 5 और धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विस्फोटक नियम, 2008 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विस्फोटक (संशोधन) नियम, 2019 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- विस्फोटक नियम, 2008 में (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है), नियम 2, में-
(क) खण्ड (4) में, "या साइट मिश्रण विस्फोट", शब्दों का लोप किया जाएगा।
(ख) खण्ड (24) में, "राकेट, गोले, आघात टोपियां", शब्दों के स्थान पर "क्विक मैच तथा माइक्रो कोर्ड" शब्द रखे जाएंगे।
(ग) खण्ड (24) के पश्चात निम्नलिखित उप-खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

'(24 क) "हवाई आतिशबाजी" से – कम खतरेवाले विस्फोटक, जो ध्वनि और आतिशबाजी का प्रभाव देने के लिए कागज ट्यूब या ज्वलनशील सामग्री से भरे आवरण के एक मोर्टर के माध्यम से आकाश में अपने ही नोदन या शॉट्स द्वारा चलते हैं और जिसमें गोले और रॉकेट भी सम्मिलित हैं अभिप्रेत हैं;

(घ) खण्ड (25) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

'25(क) "आतिशबाजी अनुसंधान और विकास केन्द्र" से वह पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन का आतिशबाजी अनुसंधान और विकास केन्द्र' अभिप्रेत है;

(ङ) खण्ड (35), में-

(i) उप-खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित उप-खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(ङ) "उस संगठन या उपक्रम द्वारा लिखित रूप में सरकारी संगठन या केन्द्रीय या राज्य सरकार/ लोक उपक्रम द्वारा नामित कोई अधिकारी";

(ii) के खंड (घ) में आखरी पंक्ति के शब्द 'समझा जाएगा' के स्थान पर 'होगा' शब्द को रखा जाएगा;

(च) खंड (39) में, हिंदी पाठ की आवश्यकता नहीं है।

(छ) खण्ड (53) में, "या 5000 मीटर से अधिक के सुरक्षा फ्यूज" शब्दों का लोप किया जाएगा;

3. मूल नियम में हिंदी पाठ की आवश्यकता नहीं है।

4. मूल नियम में नियम 4 में उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) इन नियमों के प्रयोजनों के लिए विस्फोटकों को इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट रीति में वर्गीकृत किया जाएगा।"

5. मूल नियम में, नियम 6, में -

(क) उप-नियम (1) में -

(i) उप नियम (1) में, "केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र:" शब्दों के स्थान पर "पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन की आधिकारिक वेबसाइट" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) परंतु में, "परंतु इस नियम की कोई बात", शब्दों के पश्चात् "संघ के सशस्त्र बलों और आयुध कारखानों या रक्षा मंत्रालय के अन्य स्थापनों के लिए विस्फोटकों के विनिर्माण" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) उप-नियम (4) में, "विभागीय परीक्षण केन्द्र" शब्दों के पश्चात् "या आतिशबाजी अनुसंधान एवं विकास केन्द्र" अंतःस्थापित किया जाएगा ;

(ग) उप-नियम (12) में, "विभागीय परीक्षण केन्द्र", शब्दों के पश्चात् "या आतिशबाजी अनुसंधान एवं विकास केन्द्र" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा ;

(घ) उप-नियम 15 के खंड (i) के उप-खण्ड (घ) का लोप किया जाएगा;

(ङ) उप-नियम (17), में-

(i) खंड (vii) में "केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्थान" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ii) खंड (viii), के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा , अर्थात्:-

"(ix) मुख्य नियंत्रक संघ के सशस्त्र बलों और आयुध कारखानों या रक्षा मंत्रालय के अन्य स्थापनों हेतु विनिर्मित विस्फोटकों के लिए, रक्षा संगठनों से सहमति और अनुमति के अधीन, क्षेत्र परीक्षण में छूट दे सकते हैं।"

6. मूल नियम में, नियम 10, में-

(क) उप-नियम (1) में, खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ग) विस्फोटकों के विनिर्माण के लिए प्रयोग किए जाने वाले भवनों को इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची 7 में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।"

परंतु, संघ के सशस्त्र बलों और आयुध कारखानों या रक्षा मंत्रालय के अन्य स्थापनों के लिए विस्फोटकों के विनिर्माण के लिए भवनों का निर्माण विस्फोटक भण्डारण और परिवहन समिति पुस्तिका 3 के अनुसार किया जाएगा।";

(ख) उप-नियम (2) में, खंड (ग) में, उप-खंड (V) में "एई-27" शब्द और अंक के स्थान पर "एई-8" शब्द और अंक रखा जाएगा;

(ग) उप-नियम (5) में,

(i) "सूर्यास्त और सूर्योदय" शब्दों के पश्चात "जब तक अन्यथा अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से अनुमत्य" अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ii) परंतुक का लोप किया जाएगा;

(घ) उप-नियम (6) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा:

'(6क) इन नियमों के अधीन प्रत्येक अनुज्ञप्त परिसर में विशेष रूप से "धूम्रपान निषेध" के चित्र के साथ स्थानीय और अंग्रेजी भाषा में "धूम्रपान निषेध" का बोर्ड प्रदर्शित किया जाएगा;'

(ङ) उप-नियम (7) में, (i) हिंदी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है (ii) खंड (ग) में, "विक्रय", शब्द के पश्चात "उपयोग" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा;

(च) उप-नियम (8) के पश्चात निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु, विस्फोटकों के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त संघटकों के लिए यह उप-नियम लागू नहीं होगा।"

7. मूल नियम के नियम 11 में - उप-नियम (4) के पश्चात निम्नलिखित उप-नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(5) ऐसे किसी व्यक्ति की फोरमैन के रूप में नियुक्ति नहीं की जाएगी जिसने दसवीं कक्षा उत्तीर्ण नहीं की हो और जिसे आतिशबाजी या सुरक्षा फ्यूज विनिर्माण के क्षेत्र में पाँच वर्षों से कम का कार्य का अनुभव हो"

8. मूल नियम में नियम 12 में, उप-नियम (1) में, "विनिर्देश", शब्द, के स्थान पर "समय-समय पर यथा संशोधित विनिर्देश आइएस: 2309" शब्द और अंकों को अंतःस्थापित किया जाएगा।

9. मूल नियम में, नियम 14 में, उप-नियम (1) के खंड (घ) में, "प्राधिकरण" शब्द के स्थान पर "संगम" शब्द को रखा जाएगा।

10. मूल नियम में, नियम 15 में, उप-नियम (1) के खंड (i) में,-

(क) उप-खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(च) पैकेज की विशिष्ट पहचान संख्या (मुख्य नियंत्रक द्वारा दिए गए प्रारूप में) पैकेज के दोनों तरफ चिह्नित, बारकोड और मानव पठनीय अक्षरों के रूप में";

(ख) उप-खंड (ठ) के पश्चात निम्नलिखित उप-खंड को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ड) -10 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 60 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान में विस्फोटकों का भण्डारण नहीं किया जाए।"

(ग) परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

'परंतु आतिशबाजी या सुरक्षा फ्यूज के मामले में, उप खंड (क) और (ठ) लागू नहीं होंगे और आतिशबाजी या सुरक्षा फ्यूज शब्द, यथा स्थिति, बाहरी पैकेज पर चिह्नित किया जाएगा:

परंतु यह और कि आगे "उप-खंड (च) आतिशबाजी के लिए लागू नहीं होगा।"

(घ) उप-नियम (2) में, उप-खंड (च) के पश्चात निम्नलिखित उप-खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(छ) मुख्य नियंत्रक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट तारीख से लागू, बाहरी पैकेज पर चिह्नित बारकोड और मानव पठनीय अक्षरों के प्रारूप में पैकेज की विशिष्ट पहचान संख्या (मुख्य नियंत्रक द्वारा दिए गए प्रारूप में)।";

(ङ) उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(3) विस्फोटकों के वर्ग 6 श्रेणी पर चिंहांकन - विस्फोटकों के वर्ग 6 श्रेणी 1, 2 और 3 के मामलों में चिंहांकन मुख्य नियंत्रक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट तारीख से निम्नानुसार होगा: -

(क) वर्ग 6 श्रेणी 1 (सेफ्टी फ्यूज के लिए): बारकोड और मानव पठनीय अक्षरों के रूप में चिह्नित विशिष्ट पहचान संख्या (मुख्य नियंत्रक द्वारा दिए गए प्रारूप में) प्रत्येक कॉइल के बाहरी पैकेज पर चिह्नित होगी।

(ख) वर्ग 6 श्रेणी 2 (डेटोनेटिंग कॉइड के लिए): प्रत्येक स्पूल के दोनो ओर बारकोड और मानव पठनीय अक्षरों के रूप में चिह्नित विशिष्ट पहचान संख्या (मुख्य नियंत्रक द्वारा दिए गए प्रारूप में) और डेटोनेटिंग कॉइड के हर मीटर पर विशिष्ट पहचान संख्या चिह्नित की जाएगी;

(ग) वर्ग 6 श्रेणी 2 (डेटोनेटर के लिए): (i) प्रत्येक डेटोनेटर के टुकड़े पर सुस्पष्टता से विनिर्माता का पूर्ण या संक्षिप्त रूप में नाम मुद्रित या उभरा हुआ जाएगा और यदि, संक्षिप्त रूप का उपयोग किया जाता है तो मुख्य नियंत्रक से पंजीकृत किया जाएगा;

(ii) प्रत्येक आंतरिक पैकेज जिसमें 100 प्लेन डेटोनेटर हैं या इलेक्ट्रिक डेटोनेटर के प्रत्येक गुच्छे पर बारकोड और मानव पठनीय अक्षरों के रूप में चिह्नित विशिष्ट पहचान संख्या (मुख्य नियंत्रक द्वारा दिए गए प्रारूप में) चिह्नित होगी;

(iii) गैर विद्युत डेटोनेटर या डिग्रेड डेटोनेटर के मामले में, प्रत्येक डेटोनेटर के टुकड़े पर चिंहांकन बॉक्स पर अंकन की तरह चिह्नित रहेगा।

(च) उप-नियम (4) में, "विनिर्माता का नाम", शब्दों के पश्चात, "ज्वलनशील, विस्फोटक, चिंगारियों की बौद्धा तथा आग के गोलो का उत्सर्जन करता है," शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(छ) उप-नियम (4) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"4(क) आतिशबाजी के आंतरिक पैकेज पर आतिशबाजी विनिर्माण की तिथि, बैच नंबर लिखा जाएगा।"

11. मूल नियम में, नियम 20 में, उप-नियम (1) में, "अनुज्ञप्त कारखाने में", शब्द के पश्चात, "आतिशबाजी विनिर्माण करने वाले कारखाने सहित" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

12. मूल नियम में, नियम 21 में, उप-नियम (3) में, निम्नलिखित परंतु अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह कि संघ के सशस्त्र बलों और आयुध कारखानों या रक्षा मंत्रालय के अन्य स्थापनों के लिए विस्फोटकों के विनिर्माण कारखानों को, रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के रक्षा सुरक्षा पुस्तिका में यथा उल्लिखित सुरक्षा से संबंधित उपबंधों का पालन करना होगा"

13. मूल नियम में, नियम 22 में, उप-नियम (2) में, "विद्युत उपस्कर", शब्दों के पश्चात, "आई.ई.सी., आई.एस./ आय.ई.सी. 60079 या आई.एस./ आई.ई.सी. 61241 और आई.एस./ आई.ई.सी. 60529 कोड के अनुरूप या" शब्द और अंकों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

14. मूल नियम में, नियम 24 में,-

(क) उपनियम(1) के पश्चात, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1क) विस्फोटक विनिर्माता, प्रतिदिन ऑनलाइन प्रणाली में विनिर्मित विस्फोटकों के प्रकार और मात्रा के ब्यौरा की प्रविष्टि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गए ऑनलाइन प्रणाली में करेगा।"

(ख) उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(3) अनुज्ञप्तिधारी विनिर्मित, प्राप्त, विक्रय किए गए या अन्तरित या उपयोग किए हुए या नष्ट किए हुए विस्फोटकों (आतिशबाजी के अतिरिक्त) की मासिक विवरणी नियंत्रक के साथ-साथ जिला मजिस्ट्रेट को अनुसूची 5 के भाग 5 में निर्धारित प्ररूप में प्रस्तुत करेगा, जिससे कि वह उपर्युक्त प्राधिकारियों को प्रत्येक आगामी माह के दस दिनों के भीतर पहुंच सकें तथा अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई ऑनलाइन प्रणाली में भी अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक आगामी माह के दसवें दिन के भीतर मासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।";

(ग) उप-नियम (4) में, "त्रैमासिक" शब्द के स्थान पर "मासिक" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा;

(घ) उप-नियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(5) विस्फोटकों के विनिर्माण या विक्रय या उपयोग के लिए उनके रखने के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त कोई व्यक्ति या फर्म या कंपनी द्वारा विस्फोटकों के कार्टरिजों और पैकेजों पर बारकोड जनरेट करने, मुद्रण और बारकोड को

पढ़ने के लिए उपयुक्त स्कैनर के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी और अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा यथा निर्देशित आवश्यक सूचना प्रौद्योगिकी ढाँचा भी विकसित किया जाएगा।

(6) विस्फोटकों के विक्रय या उपयोग हेतु रखने के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बारकोड को पढ़ने के लिए उपयुक्त स्कैनर के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी और मुख्य नियंत्रक द्वारा यथा निर्दिष्ट समय में आवश्यक सूचना प्रौद्योगिकी ढाँचा भी विकसित किया जाएगा।”

15. मूल नियम में, नियम 26 में,-

(क) उप-नियम (2) के खंड (छ) में, "विस्फोटन उपसाधनों", शब्दों के पश्चात "या आतिशबाजी" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) उप-नियम (3) के खंड (ड) में, "की परीक्षा", शब्दों के पश्चात "स्थल पर" शब्द को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ग) उप-नियम (6) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(7) विस्फोटकों या आतिशबाजियों के विनिर्माण हेतु अनुज्ञप्त परिसर या विनिर्माण सुविधाएं किसी भी अन्य व्यक्ति या कंपनी या संस्था को पट्टे पर नहीं दी जाएगी।"

16. मूल नियम में, नियम 28 में, परन्तुक में "अस्थायी अनुज्ञा" शब्द के पश्चात, "छह महीने की अवधि से अधिक के लिए नहीं," शब्द को अंतःस्थापित किया जाएगा; मूल नियम में, नियम 29 में "हाल ही में" शब्दों के स्थान पर "वर्तमान" शब्द रखा जाएगा;

17. मूल नियम में, नियम 43 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"43. भूमि मार्ग से आयात या निर्यात.- (1) ऐसे प्रत्येक मामले में, जहां केन्द्रीय सरकार मुख्य नियंत्रक के परामर्श से शर्तें एवं प्रतिबंध लागू करती है, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, भूमि मार्ग से विस्फोटकों के आयात या निर्यात के लिए कोई अनुज्ञप्ति अनुदत्त नहीं की जाएगी।

(2) भारतीय मिशन और आयात करने वाले देश की सरकार द्वारा जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण-पत्र के बिना भूमि मार्ग से विस्फोटकों के निर्यात के लिए कोई अनुज्ञप्ति अनुदत्त नहीं की जाएगी।

18. मूल नियम में, नियम 45 में,-

(क) उप-नियम (3) में,-

"(i) खंड (क) में "जो पत्तन पर उतारे जाने आशयित हैं तथा इन नियमों के अधीन जांच, विश्लेषित या परीक्षित किए जाने के लिए अपेक्षित है " शब्दों के स्थान पर, "इन नियमों के अधीन, विस्फोटकों के आवश्यक परीक्षण, विश्लेषण या जांच जैसा वह आवश्यक समझे" शब्द रखे जाएंगे।";

(ii) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(ख) मास्टर या एजेंट, यथास्थिति, खंड (क) में निर्दिष्ट अधिकारी को विस्फोटकों के उन सभी नमूनों को सौंपेगा जो आवश्यक हों। नमूना अधिकारी यदि चाहे तो नमूने, उनके द्वारा बताए गए किसी विशिष्ट पैकेज से उठाए जाएंगे।";

(ख) उप नियम (5), में,-

(i) खंड (क) में "प्ररूप सी.ई-1 परीक्षण प्रमाणपत्र में", शब्दों के स्थान पर, यथास्थिति, "नाइट्रो- यौगिक या क्लोरेट मिश्रण के मामले में प्ररूप सीई-1 परीक्षण प्रमाणपत्र में विश्लेषण या जांच रिपोर्ट या " शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ख) में "प्ररूप सी.ई-1 परीक्षण प्रमाणपत्र में प्रत्येक प्रमाणपत्र की " शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ग) उप नियम (6) के खंड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(क) सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा कोई भी आयातित विस्फोटक उतारने के लिए अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक इन नियमों के अधीन ऐसे विस्फोटकों के आयात के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त हो और ऐसी अन्य जांच जैसी वह आवश्यक समझे, कर ली गई हो;";

(घ) उप नियम (7) के खंड (ड) के पश्चात निम्नलिखित उप- खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(च) किसी भी व्यक्ति को विस्फोटकों का आयात करने हेतु तब तक अनुज्ञप्ति जारी नहीं की जाएगी जब तक वह आयात करने हेतु आशयित विस्फोटकों के वर्ग और मात्रा को रखने के लिए वैध अनुज्ञप्त परिसर का धारक नहीं है।"

19. मूल नियम में, नियम 46 में, उप-नियम (2) में,-

(क) खंड (क) में "प्राधिकरण" शब्द के स्थान पर "संघ" शब्द रखा जाएगा;

(ख) उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(3) किसी भी व्यक्ति को विस्फोटकों का निर्यात करने हेतु तब तक अनुज्ञप्ति जारी नहीं की जाएगी जब तक वह निर्यात करने हेतु आशयित विस्फोटकों के वर्ग और मात्रा को रखने के लिए वैध अनुज्ञप्त परिसर का धारक नहीं है।"

20. मूल नियम में, नियम 48 में,-

(क) उप-नियम (1) में, "परीक्षण अधिकारी", शब्दों के पश्चात् "या विस्फोटक नियंत्रक" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उप-नियम (2) में, परीक्षण अधिकारी, शब्दों के पश्चात् "या विस्फोटक नियंत्रक" शब्द अंतःस्थापित किये जाएंगे;

21. मूल नियम में, नियम 51 में, उप-नियम (5) में "प्राधिकरण" शब्द के स्थान पर "संघ" शब्द रखा जाएगा।

22. मूल नियम में, नियम 61 में,-

(क) मूल नियम के पार्श्व शीर्षक में "ट्रैक्टर", शब्द के पश्चात्, "मोटर ट्रक पर आरूढ फिक्स्ड चेसिस मालवाहक डिब्बा या गूस नेक टाइप सेमी ट्रेलर वाहन" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा।

(ख) उप-नियम (1) में, "सड़क यान में किसी विस्फोटक", शब्दों के पश्चात्, "या मोटर ट्रक पर आरूढ फिक्स्ड चेसिस मालवाहक डिब्बा या गूस नेक टाइप सेमी ट्रेलर वाहन या" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा।

(ग) उप-नियम (2) में, "सड़क वैन", शब्दों के पश्चात्, "या मोटर ट्रक पर आरूढ फिक्स्ड चेसिस यथास्थिति, मालवाहक डिब्बा या गूस नेक टाइप सेमी ट्रेलर वाहन" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा।

(घ) उप-नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा:

"(4) मोटर ट्रक पर आरूढ फिक्स्ड चेसिस मालवाहक डिब्बा या गूस नेक टाइप सेमी ट्रेलर वाहन द्वारा विस्फोटकों के सड़क परिवहन हेतु अनुज्ञप्ति तब दी जाएगी जब -

(क) विदेश से मालवाहक डिब्बे में विस्फोटक प्राप्त हो रहे हैं;

(ख) विस्फोटको को मालवाहक डिब्बे में अन्य देशों को निर्यात किया जा रहा है, या

(ग) आपात स्थिति में मुख्य नियंत्रक की पूर्व अनुज्ञा से।

(5) मालवाहक डिब्बे अंतरराष्ट्रीय समुद्री खतरनाक माल संकेतिकी के अनुरूप होंगे;

(6) मोटर ट्रक पर आरूढ फिक्स्ड चेसिस मालवाहक डिब्बा या गूस नेक टाइप सेमी ट्रेलर वाहन में ले जा रहे विस्फोटकों का अधिकतम वजन 20 मीट्रिक टन या सड़क परिवहन प्राधिकरण द्वारा अनुमत्य वाहन की अधिकतम वहन क्षमता, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा।"

23. मूल नियम में, नियम 67 में, उप-नियम (11) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(12) मुख्य नियंत्रक द्वारा घोषित की तारीख से, जिसको; विनिर्दिष्ट करें विस्फोटकों के परिवहन में उपयुक्त सड़क वैन को ट्रैकिंग प्रयोजन हेतु आवश्यक ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली उपकरणों से उपसज्जित किया जाएगा।"

24. मूल नियम में नियम 72 में, उप-नियम(1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"(1) मूल पैकेज में विस्फोटकों का विक्रय.- विस्फोटकों का विक्रय मूल पैकेज में या विशिष्ट पहचान चिह्न युक्त सबसे छोटे पैकेज में किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में विस्फोटकों का विक्रय सबसे छोटे पैकेज से कम मात्रा में नहीं किया जाएगा।

(1क) नियम 15 के अनुसार प्रत्येक पैकेज पर चिह्नांकन भी किया जाएगा।"

25. मूल नियम में नियम 77 में, उप-नियम (2) के खंड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(च) मुख्य विस्फोटक नियंत्रक या विस्फोटक नियंत्रक द्वारा जारी विधिमान्य अनुज्ञप्ति धारक परेषिती अनुसूची 5 के भाग 5 के अंतर्गत प्ररूप आरई-11 में परेषक को ऑनलाइन मांगपत्र प्रस्तुत करेगा;

(छ) प्ररूप आरई-11 में ऑनलाइन मांगपत्र प्राप्त होने पर तथा सम्यक सत्यापन के बाद, परेषक अनुसूची V के भाग 5 के अंतर्गत प्ररूप आरई -12 में ऑनलाइन पास जारी करने के पश्चात मांगपत्र से अनधिक प्रकार और मात्रा में विस्फोटक परेषक को आपूर्ति करेगा;

(ज) परेषण की प्राप्ति पर, परेषक, अनुसूची 5 के भाग 5 के अंतर्गत प्ररूप आरई -3 में ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से तुरंत ही, प्राप्त किए गए विस्फोटकों के प्रकार और मात्रा की प्रविष्टि करेगा;

(झ) मुख्य विस्फोटक नियंत्रक या विस्फोटक नियंत्रक द्वारा जारी विस्फोटकों को रखने तथा उपयोग हेतु अनुज्ञप्तिधारक व्यक्ति, विस्फोटकों के अंतिम उपयोग हेतु ऑनलाइन पास जारी करने के पश्चात ही शॉट-फायरर/ब्लास्टर्स को अनुसूची 5 के भाग 5 के अंतर्गत प्ररूप आरई -13 में विस्फोटक वितरित करेगा।"

26. मूल नियम में नियम 81 में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु, संघ और आयुध कारखानों के सशस्त्र बलों या रक्षा मंत्रालय के अन्य स्थापनों के लिए विस्फोटकों के विनिर्माण के लिए भवनों का निर्माण विस्फोटक भण्डारण और परिवहन समिति पुस्तिका 3 के अनुसार किया जाएगा।"

27. मूल नियम में, नियम 82 में-

(क) उपनियम (1) में, "या पाँच हजार मीटर से अनधिक के सुरक्षित फ्यूज", शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) उपनियम (2) में, "या सुरक्षित फ्यूज", शब्दों का लोप किया जाएगा;

28. मूल नियम में, नियम 83 में,-

(क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा;

"आतिशबाज़ी, गनपाउडर और छोटे पलीते वाले नाइट्रो यौगिक से भिन्न किसी विस्फोटक के अनुज्ञप्ति मे अनुज्ञात कब्जे और विक्रेय के लिए किसी दुकान में भंडारकृत नहीं किया जायेगा।"

(ख) उपनियम (4) में खंड (ग) में शब्द "तल" के स्थान पर "तलों" शब्द रखा जाएगा;

29. मूल नियम में, नियम 84 में, उपनियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम

अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(7) आतिशबाजी की दुकानों के ऐसे समूह के लिए प्राथमिक चिकित्सा, एम्ब्युलेन्स और कम से कम दो अग्नि शमन वाहन उपलब्ध होंगे;

(8) प्रमुख स्थानों पर स्थानीय भाषा में एक चेतावनी बोर्ड 'विस्फोटक या खतरनाक पदार्थ' प्रदर्शित किया जाएगा।"

30. मूल नियम में नियम 86 में, उपनियम (2) में, "या सुरक्षा फ्यूज", शब्दों का लोप किया जाएगा;

31. मूल नियम में, नियम 87 में,-

(क) मूल नियम में, "या सुरक्षित फ्यूज", शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) नियम 87 के परंतुक में "या सुरक्षित फ्यूज", शब्दों का लोप किया जाएगा;

32. मूल नियम में नियम 90 में, उप-नियम (4) में, " लिया गया था", शब्दों के पश्चात्, "और लौटाएं गए विस्फोटकों के प्रकार और मात्रा की प्रविष्टियाँ, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त ऑनलाइन प्रणाली में की जाएगी" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

33. मूल नियम में, नियम 101 में, उप-नियम (4) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(5) विस्फोटकों को रखने तथा उपयोग हेतु किसी ऐसे व्यक्ति या फर्म या कंपनी को अनुज्ञप्ति के लिए अनुमोदन नहीं दिया जाएगा जिसके पास विस्फोटकों को रखने तथा बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति हैं तथा यह विलोमतः भी लागू होगा।

"(6) उप-नियम (5) में कोई बात विस्फोटक विनिर्माण कारखानों में अवस्थित तथा उससे संबद्ध, उपयोग हेतु रखने के मैगजीन तथा बिक्री हेतु रखने के मैगजीन पर उपर्युक्त उप-नियम लागू नहीं होगा।"

34. मूल नियम में, नियम 107 में, उप-नियम (6) में, "विस्फोटकों के संभलाई और विस्फोटन से संबंधित क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव हैं" शब्दों के स्थान पर, "आतिशबाजी तथा या सुरक्षा फ्यूज के विनिर्माण के क्षेत्र में पाँच वर्षों का अनुभव और दसवीं कक्षा उत्तीर्ण है", शब्द रखे जाएंगे;

35. मूल नियम में, नियम 108 में -उप-नियम (2) में,-

- (क) खंड (ग) में "या किसी अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु की दशा में जो कोई व्यक्ति है किसी सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाणपत्र" शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (ख) खंड (ड) में "परिसरों के कर्तव्यों के अंतरण की बाबत" शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (ग) खंड (झ) के परंतुक में, "आवेदक के पास", शब्दों के पश्चात, "उसी जिले हेतु" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा;

36. मूल नियम में, नियम 112 में, उप-नियम (10) में,-

- (क) "तीन" शब्द के स्थान पर दोनों स्थानों पर जहां वे आ रहे हैं "छह" शब्द रखा जाएगा।
- (ख) "पुनर्विधिमान्यकरण" शब्द के स्थान पर "नवीकरण" शब्द रखा जाएगा।

37. मूल नियम में, नियम 113 की सारणी में, -

- (क) क्रम संख्यांक 1 में, स्तंभ संख्या 6 में मद संख्या (vii) के पश्चात निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(viii) परिसर के वास्तविक कब्जे के समर्थन में दस्तावेजों की प्रतियां.”

- (ख) क्रम संख्यांक 2 में, स्तंभ संख्या 6 में मद संख्या (ix) के पश्चात निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(x) परिसर के वास्तविक कब्जे के समर्थन में दस्तावेजों की प्रतियां.”

- (ग) क्रम संख्यांक 3 में, स्तंभ संख्या (6) में मद संख्या (ix) के पश्चात निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(x) परिसर के वास्तविक कब्जे के समर्थन में दस्तावेजों की प्रतियां.”

- (घ) क्रम संख्यांक 4 में,

(i) स्तंभ संख्या (6) में,-

- (i) मद संख्या (vii) का लोप किया जाएगा
 - (ii) मद संख्या (viii) के पश्चात, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
- “(ix) परिसर के वास्तविक कब्जे के समर्थन में दस्तावेजों की प्रतियां.”

- (ड) क्रम संख्यांक 5 में,

- (iii) स्तंभ संख्या (6) में, मद संख्या (viii) के पश्चात, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जायेगा, अर्थात् :-

“(ix) परिसर के वास्तविक कब्जे के समर्थन में दस्तावेजों की प्रतियां.”

- (च) क्रम संख्यांक 6 में,

- (i) स्तंभ संख्या (6) में, मद संख्या (viii) के पश्चात, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
- “(ix) परिसर के वास्तविक कब्जे के समर्थन में दस्तावेजों की प्रतियां.”

- (छ) क्रम संख्यांक 7 में,

- (i) स्तंभ संख्या (6) में, मद संख्या (x) के पश्चात, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
- “(xi) परिसर के वास्तविक कब्जे के समर्थन में दस्तावेजों की प्रतियां.”

- (ज) क्रम संख्यांक 9 में,

- (i) स्तंभ संख्या (2) में संख्या और शब्द "25 किलोग्राम" के स्थान पर संख्या और शब्द "50 किलोग्राम", रखे जाएंगे;

- (ii) स्तंभ संख्या (6) में, मद संख्या (v) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(vi) परिसर के वास्तविक कब्जे के समर्थन में दस्तावेजों की प्रतियां.”

- (झ) क्रम संख्यांक (10) में, स्तंभ संख्या (6) में, मद संख्या (vi) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(vii) परिसर के वास्तविक कब्जे के समर्थन में दस्तावेजों की प्रतियां.”

- (ञ) क्रम संख्यांक 11 में, स्तंभ संख्या (6) में, मद संख्या (vii) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(viii) परिसर के वास्तविक कब्जे के समर्थन में दस्तावेजों की प्रतियां.”

- (ट) क्रम संख्यांक 12 में,

- (i) स्तंभ संख्या (2) में " या 50000 मीटर से अनधिक सुरक्षा फ्यूज" शब्दों का लोप किया जाएगा;

- (ii) स्तंभ (6) में, मद संख्या (vi) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(vii) परिसर के वास्तविक कब्जे के समर्थन में दस्तावेजों की प्रतियां.”

- (ठ) क्रम संख्यांक 14 में, स्तंभ (6) में, मद (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(v) परिसर के वास्तविक कब्जे के समर्थन में दस्तावेजों की प्रतियां.”

- (ड) क्रम संख्यांक 15 में,

- (i) स्तंभ 2 में शब्द "चीनी" के स्थान पर "चोरसा" शब्द रखा जाएगा;

- (ii) स्तंभ (6) में मद (iv) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(v) परिसर के वास्तविक कब्जे के समर्थन में दस्तावेजों की प्रतियां.”

- (ढ) क्रम संख्यांक 16 में, स्तंभ (6) में, मद (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(v) परिसर के वास्तविक कब्जे के समर्थन में दस्तावेजों की प्रतियां.”

- (ण) क्रम संख्यांक 19 में,

- (ii) स्तंभ संख्या (2) में शब्द "चीनी" के स्थान पर "चोरसा" शब्द रखा जाएगा;

- (iii) स्तंभ संख्या 6 में,

(अ) मद संख्या (iv) का लोप किया जाएगा,

(आ) मद संख्या (v) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(vi) परिसर के वास्तविक कब्जे के समर्थन में दस्तावेजों की प्रतियां.”

- (त) क्रम संख्यांक 21 में, स्तंभ संख्या 2 में "सड़क वैन", शब्द के पश्चात् "या मोटर ट्रक पर आरूढ फिक्स्ड चेसिस मालवाहक डिब्बा या गूस नेक टाइप सेमी ट्रेलर वाहन"; शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

- (थ) क्रम संख्यांक 22 में, स्तंभ संख्या (2) में "भूमार्ग से भिन्न" शब्दों का लोप किया जाएगा;

- (द) क्रम संख्यांक 23 में, स्तंभ संख्या 6 में, मद संख्या (vii) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(viii) परिसर के वास्तविक कब्जे के समर्थन में दस्तावेजों की प्रतियां.”

38. मूल नियम में, नियम 115 में, उप-नियम (1) के खंड (ख) में, "दांडिक अपराध", शब्दों के पश्चात्, "किसी भी हिंसा या नैतिक अधमता से जुड़े दांडिक अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है तथा उसे दंड की समाप्ति के पश्चात् पाँच साल की अवधि के दौरान किसी एक समय पर, छह महीने की अवधि से अनधिक के लिए" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

39. मूल नियम में, नियम 118 में, उप-नियम (1) के खंड (I) में,-

(क) उप-खंड (ख) में, "दांडिक अपराधों", शब्दों के पश्चात "किसी भी हिंसा या नैतिक अधमता से जुड़े दांडिक अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है तथा उसे दंड की समाप्ति के पश्चात पाँच साल की अवधि के दौरान किसी एक समय पर, छह महीने की अवधि से अनधिक के लिए" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) उप-खंड (ख) के पश्चात निम्नलिखित उप-खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(ग) अनुज्ञप्त परिसर या विनिर्माण सुविधाओं को किसी अन्य व्यक्ति, कंपनी, सोसाईटी आदि को पट्टे पर दिया गया है।"

40. मूल नियम में, नियम 124 में अनुदत्त उसकी कोई अधिप्रमाणित प्रति खो जाती है या संयोगवश नष्ट हो जाती है तो अनुसूची 4 के भाग 2 में विनिर्दिष्ट फीस के संदत्त कर दिए जाने पर उसकी दूसरी प्रति जारी की जा सकती है। शब्दों के पश्चात "खो जाती है या दुर्घटना पूर्ण विनष्ट हो जाती है अनुलिपि प्रति जारी की जा सकेगी" शब्द रखे जाएंगे

41. मूल नियम में, नियम 131 में, उप-नियम (1) में, "दुर्घटना होने के चौबीस घंटे के भीतर, टेलीफोन, टेलीग्राम" शब्दों के स्थान पर "दुर्घटना होने के बारह घंटे के भीतर, टेलीफोन" शब्द रखे जाएंगे;

42. मूल नियम में अनुसूची I, भाग 1 में विस्फोटकों के वर्गीकरण से संबंधित -

(क) वर्ग 2 में नाइट्रेट मिश्रण वर्ग, "क्लोरेट के अनुसार" शब्दों के स्थान पर "पर क्लोरेट" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) वर्ग 3 में, नाइट्रो यौगिक वर्ग, क्रम सं. 2 में, "वर्ग" शब्द के पश्चात "हुआ" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ग) वर्ग 7 - आतिशबाजी वर्ग में,

(i) क्रम संख्या (5) और इससे जुड़ी हुई प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"(5) प्रभाग 2 के उप प्रभाग 1 की आतिशबाजी के अधीन आतिशबाजी है जो मुख्य नियंत्रक की राय में स्वयं अनुपाततः कम खतरनाक है और जिनमें तेजी से विस्फोट नहीं हो सकता है या जो तुरन्त विस्फोट उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, अर्थात् जो स्पार्कलर चोरसा पटाखे, सपेट, आदि हैं।

(ii) क्रम संख्या (6) में, "अधिक परिसंकटमय", शब्दों का लोप किया जाएगा;

43. मूल नियम में अनुसूची 2, 'अंतर्देशीय परिवहन के लिए विस्फोटकों का पैक किया जाना' से संबंधित भाग 1 में -

(क) क्रम संख्या (3) के पश्चात, निम्न क्रम संख्या को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(4)(क) विस्फोटकों के पैकिंग और परिवहन के लिए बाहरी पैकेज का केवल एक ही बार उपयोग किया जाएगा।

(ख) बाहरी पैकेज में रखे विस्फोटकों को निकालने के पश्चात, बाहरी पैकेज को नष्ट किया जाएगा।"

(ख) सारणी में

मद संख्या 23 के स्तंभ (4) में दर्शाई गई विद्यमान प्रविष्टि के सामने का निम्नलिखित प्रविष्टि से प्रातिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"25 किलोग्राम"

44. मूल नियम के अनुसूची IV, अनुज्ञप्ति और अनुज्ञापन प्राधिकारी से संबंधित भाग 1 में,-

(क) अनुच्छेद संख्या 3 के स्तंभ 2 में,

(i) मद संख्या (क) में, अंक "25" के स्थान पर "50" अंक रखे जाएंगे;

(ii) मद संख्या (घ) के स्तंभ 2 में, "या 50000 मीटर से अनधिक सुरक्षा फ्यूज" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) अनुच्छेद संख्या 5 में, स्तंभ (2) में,

(क) मद संख्या (ख) में "चीन" शब्द के स्थान पर "चोरसा" शब्द रखा जाएगा;

(ख) मद संख्या (च) में "चीनी" शब्द के स्थान पर "चोरसा" शब्द रखा जाएगा;

- (ग) अनुच्छेद संख्या 7 के स्तंभ (2) में, "सड़क वेन", शब्दों के पश्चात्, "या मोटर ट्रक पर आरूढ़ फिक्स्ड चेसिस मालवाहक डिब्बा या गूस नेक टाइप सेमी ट्रेलर वाहन" को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (घ) अनुच्छेद संख्या 8 के स्तंभ (2) में, "भूमि से अन्यथा" शब्दों का लोप किया जाएगा;

45. मूल नियम के अनुसूची 5 के,

(क) भाग 1 आवेदन प्ररूप में -

(i) "प्ररूप एई-1 से एई-11" के स्थान पर निम्नलिखित नए प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात: -

"प्ररूप एई -1

(विस्फोटक नियम, 2008 का नियम 113 देखिए)

विस्फोटकों के विनिर्माण हेतु अनुज्ञप्ति के लिए अनुमोदन या अनुदान या संशोधन

या अंतरण के लिए आवेदन

प्रयोजन (कृपया चिन्हित करें): अनुमोदन ☐ अनुदान ☐ संशोधन ☐ अंतरण ☐

1. आवेदक का प्रकार: व्यक्तिगत ☐ कंपनी ☐ भागीदारी फर्म ☐

(कृपया चिन्हित करें) सोसाइटी ☐ सांपत्तिक फर्म ☐

2. आवेदक का ब्यौरा:

(क) नाम, जिसमें अनुज्ञप्ति की मांग की गई है (नीचे टिप्पण देखिए) -----

(ख) आधार संख्या/ सीआईएन संख्या/ फर्म पंजीकरण संख्या -----

(ग) यदि व्यक्ति, तो उसकी आयु -----

(घ) डाक पता -----

शहर ----- जिला ----- राज्य ----- पिन कोड -----

एसटीडी कोड सहित फोन नं.----- मोबाइल नं.----- ई-मेल -----

3. प्रस्तावित परिसर का पता:

सर्वे/ गट नं./खसरा नं.----- नगर/गांव -----

मंडल/तालुक/तहसील ----- रेलवे स्टेशन -----

पुलिस थाना ----- जिला -----

राज्य ----- पिन कोड -----

4. आवेदक और उसके द्वारा नियोजित तकनीकी कर्मियों की अर्हताएं और अनुभव (व्यक्तियों का ब्यौरा दें और यदि अपेक्षित हो पृथक पन्ना संलग्न करें)

5 विभिन्न उत्पादों के अनुमोदित वार्षिक क्षमता के साथ औद्योगिक अनुज्ञप्ति का ब्यौरा (प्रति संलग्न करें):-----

6. विनिर्मित किए जाने वाले विस्फोटकों का ब्यौरा:

प्रस्तावित उत्पाद (विस्फोटकों का नाम)	वर्ग और प्रभाग	यू.एन. वर्गीकरण और संख्या	प्रस्तावित प्रतिदिन उत्पादन (मीट्रिक टन/ मिलियन नं./ मिलियन मीटर में)	प्रस्तावित वार्षिक उत्पादन (मीट्रिक टन/ मिलियन नं./ मिलियन मीटर में)	औद्योगिक अनुज्ञप्ति के अनुसार वार्षिक क्षमता (मीट्रिक टन/ मिलियन नं./ मिलियन मीटर में)

--	--	--	--	--	--

7. (क) अनुमोदित बीएमडी वाहन का ब्यौरा (एसएमई संयंत्र के मामले में)

अनु क्र.	रजस्ट्रीकरण संख्या	अनुमोदन संख्या	इंजन संख्या	चेसिस संख्या	उत्पादन क्षमता (एमटी)

8. प्रस्तावित संशोधन का ब्यौरा या अतिरिक्त जानकारी -----

9. (क) विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अधीन अन्य अनुज्ञप्तियों का ब्यौरा, यदि आवेदक द्वारा विगत 10 वर्षों से धारित हो -----

(ख) क्या कोई अनुज्ञप्ति रद्द की गई या नवीकृत नहीं की गई? हाँ..... नहीं....

यदि हाँ, तो जानकारी दें -----

10. (क) क्या आवेदक को पिछले 10 वर्षों के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 8 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है या बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश दिया गया है? हाँ..... नहीं....

(ख) यदि हाँ, तो कृपया ब्यौरा दे -----

11. संलग्न दस्तावेजों की सूची:

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई विशिष्टियां सही हैं।

--

तारीख:

ऊपरोक्त बॉक्स में आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

पूरा नाम -----

(कंपनी की दशा में प्राधिकृत व्यक्ति)

टिप्पण: कृपया प्रयोजन और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों के लिए नियम देखिए।

(1) उस दशा में, जहां आवेदन, किसी व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहां नियम 2 के अनुसार अधिभोगी और, यथास्थिति, निदेशकों या भागीदारों या सदस्यों के नाम और पते तथा प्राधिकृत व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर संलग्न किए जाएं।

(2) अधिभोगी के पासपोर्ट आकार की हस्ताक्षरित रंगीन फोटो की छह प्रतियां संलग्न की जाएं।

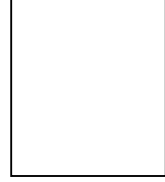
(3) उपरोक्त सूचना में किसी परिवर्तन की सूचना तुरन्त अनुज्ञापन प्राधिकारी या अनुज्ञप्ति नवीकरण प्राधिकारी को दी जाए।

कानूनी चेतावनी: विस्फोटकों को गलत ढंग से संभलाई और उनका दुरुपयोग विधि के अधीन गंभीर अपराध माना जाएगा।

प्ररूप एई -2

(विस्फोटक नियम, 2008 का नियम 113 देखिए)

किसी एक समय में 200 से अनधिक एडिवर्टुस के विनिर्माण के लिए, किसी एक समय में 15 किलोग्राम से अनधिक बारूद रखने के लिए अनुज्ञप्ति हेतु अनुमोदन या अनुदान या संशोधन या अंतरण के लिए आवेदन



प्रयोजन (कृपया चिन्हित करें): अनुमोदन ☐ अनुदान ☐ संशोधन ☐ अंतरण ☐

1. आवेदक के प्रकार: व्यक्तिगत ☐ कंपनी ☐ भागीदारी फर्म ☐

(कृपया चिन्हित करें) सांपत्तिक फर्म ☐ सोसाइटी ☐

2. आवेदक का ब्यौरा:

(क) नाम, जिसमें अनुज्ञप्ति की मांग की गई है (नीचे टिप्पण देखिए) -----

(ख) आधार संख्या/ सीआईएन संख्या/ फर्म पंजीकरण संख्या -----

(ग) यदि व्यक्ति, तो उसकी आयु -----

(घ) डाक पता -----

शहर ----- जिला ----- राज्य ----- पिन कोड -----

एसटीडी कोड सहित फोन नं. ----- मोबाइल नं ----- ई-मेल -----

3. प्रस्तावित परिसर का पता:

सर्वे/ गाटा नं./खसरा नं ----- नगर/गांव -----

मंडल/तालुक/तहसील ----- रेलवे स्टेशन -----

पुलिस थाना ----- जिला -----

राज्य ----- पिन कोड -----

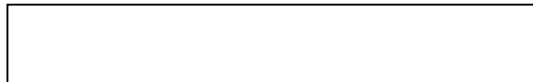
4. आवेदक और उसके द्वारा नियोजित तकनीकी कर्मियों की अर्हताएं और अनुभव (व्यक्तियों का ब्यौरा दें और यदि अपेक्षित हो पृथक पन्ना संलग्न करें)

5 (क) किसी एक समय में रखे जाने हेतु प्रस्तावित बारूद की मात्रा: -----

(ख) एक समय में विनिर्मित और रखे जाने के लिए प्रस्तावित एडिवर्टुस की मात्रा -----

6. संलग्न दस्तावेजों की सूची:

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई विशिष्टियां सही हैं।



तारीख:

ऊपरोक्त बॉक्स में आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

पूरा नाम -----

(कंपनी की दशा में प्राधिकृत व्यक्ति)

टिप्पण: कृपया प्रयोजन और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों के लिए नियम देखिए।

(1) उस दशा में, जहां आवेदन, किसी व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहां नियम 2 के अनुसार अधिभोगी और, यथास्थिति, निदेशकों या भागीदारों या सदस्यों के नाम और पते तथा प्राधिकृत व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर संलग्न किए जाएँ।

(2) अधिभोगी के पासपोर्ट आकार की हस्ताक्षरित रंगीन फोटो की छह प्रतियां संलग्न की जाएं।

(3) उपरोक्त सूचना में किसी परिवर्तन की सूचना तुरन्त अनुज्ञापन प्राधिकारी या अनुज्ञप्ति नवीकरण प्राधिकारी को दी जाए।

कानूनी चेतावनी: विस्फोटकों को गलत ढंग से संभलाई और उनका दुरुपयोग विधि के अधीन गंभीर अपराध माना जाएगा।

प्ररूप एई -3

(विस्फोटक नियम, 2008 का नियम 113 देखिए)

विस्फोटकों को मैगजीन में रखने और उनके विक्रय या रखने एवं उनके उपयोग के लिए या किसी भंडारगृह में आतिशबाजी को रखने के लिए अनुज्ञप्ति के अनुमोदन या अनुदान या संशोधन या अंतरण के लिए आवेदन

प्रयोजन (कृपया चिन्हित करें): अनुमोदन ☐ अनुदान ☐ संशोधन ☐ अंतरण ☐

1. आवेदक के प्रकार: व्यक्तिगत ☐ कंपनी ☐ भागीदारी फर्म ☐ सोसाइटी ☐
(कृपया चिन्हित करें) सांपत्तिक फर्म ☐

2. आवेदक का ब्यौरा:

(क) नाम, जिसमें अनुज्ञप्ति की मांग की गई है (नीचे टिप्पण देखिए) -----

(ख) आधार संख्या/ सीआईएन संख्या/ फर्म पंजीकरण संख्या -----

(ग) यदि व्यक्ति, तो उसकी आयु -----

(घ) डाक पता -----

शहर ----- जिला ----- राज्य ----- पिन कोड -----

एसटीडी कोड सहित फोन नं. ----- मोबाइल नं ----- ई-मेल -----

3. प्रस्तावित परिसर का पता:

सर्वे/ गाटा नं./खसरा नं ----- नगर/गांव -----

मंडल/तालुक/तहसील ----- रेलवे स्टेशन -----

पुलिस थाना ----- जिला -----

राज्य ----- पिन कोड -----

4. आवेदक और उसके द्वारा नियोजित तकनीकी कर्मियों की अर्हताएं और अनुभव (व्यक्तियों का ब्यौरा दें और यदि अपेक्षित हो पृथक पन्ना संलग्न करें)

5. रखने और विक्री हेतु प्रस्तावित विस्फोटकों की मात्रा:

क्रम संख्या	विस्फोटकों का ब्यौरा	वर्ग और प्रभाग	रखी जाने हेतु प्रस्तावित मात्रा (कि.ग्रा. / संख्या / मीटर में)	
			एक समय पर	एक मास में

6. (क) रखने और अंतरित किए जाने हेतु प्रस्तावित आतिशबाजी: (भंडारगृह में आतिशबाजी रखने के मामले में):

क्रम संख्या	आतिशबाजी का ब्यौरा	वर्ग और प्रभाग	रखी जाने हेतु प्रस्तावित मात्रा (5000 कि.ग्रा. से अनधिक) (कि.ग्रा. में)	
			एक समय पर	एक मास में

(ख) आवेदक के स्वामित्व की अनुज्ञप्त आतिशबाजी दुकान जिसमें आतिशबाजी अंतरित किया जाना प्रस्तावित है, उसकी वैधता और अनुज्ञप्ति का विवरण:

- (i)
(ii)
(iii)

7. रखने और उपयोग किए जाने हेतु विस्फोटकों की मात्रा :

क्रम संख्या	विस्फोटकों का ब्यौरा	वर्ग और प्रभाग	रखी जाने हेतु प्रस्तावित मात्रा (कि.ग्रा. /संख्या /मीटर में)		
			एक समय पर	प्रतिदिन उपयोग के लिए	एक मास में

8. क्या परिसर, विस्फोटकों के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्त किसी कारखाने से संलग्न है? हां.... नहीं...

9. उस स्थल का ब्यौरा, जहां विस्फोटक प्रयुक्त किए जाएंगे (यदि आवश्यक हो तो पृथक पन्ना संलग्न करें) : -----

10. क्या स्थल खान अधिनियम, 1952 के अधीन आता है) : -----

11. प्रस्तावित ब्लास्टिंग श्रेणी (कृपया निशान लगाएँ): (1) सूर्योदय से सूर्यास्त

(2) चौबीस घंटे यदि हाँ, तो

(क) डीजीएमएस द्वारा अनुमोदित ब्लास्टर का ब्यौरा ; नियोजित ब्लास्टर का नाम: -----

(ख) प्रमाणपत्र संख्या और उसकी विधिमान्यता (प्रति संलग्न की जाए) : -----
यदि नहीं, तो

क. प्रस्तावित क्रियाकलाप का ब्यौरा -----
(दस्तावेजी साक्ष्य, जैसे कार्यदिश / खदान पट्टा संलग्न करें)

ख. शॉट फायरर का नाम -----

(ग) प्रमाणपत्र संख्या और उसकी विधिमान्यता -----

12. मैगजीन से उस स्थल की दूरी, जहां विस्फोटक प्रयुक्त किए जाएंगे : -----

13. परिवहन का ढंग : रोड वैन द्वारा..... अन्य माध्यम (कृपया निर्दिष्ट करें)

14. रोड वैन अनुज्ञप्ति की विशिष्टियां -----

15. (क) विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अधीन अन्य अनुज्ञप्तियों का ब्यौरा, यदि आवेदक द्वारा विगत 10 वर्षों से धारित हो -----

(ख) क्या कोई अनुज्ञप्ति रद्द की गई या नवीकृत नहीं की गई? हाँ.... नहीं....

जानकारी दें -----

16. (क) क्या आवेदक को पिछले 10 वर्षों के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 8 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है या बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश दिया गया है? हाँ..... नहीं....

(ख) यदि हां, तो कृपया ब्योरा दे -----

17. संलग्न दस्तावेजों की सूची:

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई विशिष्टियां सही हैं।

तारीख:

ऊपरोक्त बॉक्स में आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

पूरा नाम -----

(कंपनी की दशा में प्राधिकृत व्यक्ति)

टिप्पण: कृपया प्रयोजन और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों के लिए नियम देखिए।

(1) उस दशा में, जहां आवेदन, किसी व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहां नियम 2 के अनुसार अधिभोगी और, यथास्थिति, निदेशकों या भागीदारों या सदस्यों के नाम और पते तथा प्राधिकृत व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर संलग्न किए जाए।

(2) अधिभोगी के पासपोर्ट आकार की हस्ताक्षरित रंगीन फोटो की छह प्रतियां संलग्न की जाए।

(3) उपरोक्त सूचना में किसी परिवर्तन की सूचना तुरन्त अनुज्ञापन प्राधिकारी या अनुज्ञप्ति नवीकरण प्राधिकारी को दी जाए।

कानूनी चेतावनी: विस्फोटकों को गलत ढंग से संभलाई और उनका दुरुपयोग विधि के अधीन गंभीर अपराध माना जाएगा।

प्ररूप एई -4

(विस्फोटक नियम, 2008 का नियम 113 देखिए)

कुंआ खोदने में प्रयुक्त ट्रेक्टर या मोटर ट्रक आधारित कंप्रेसर के लिए अनुज्ञप्ति के अनुमोदन या अनुदान या संशोधन या अंतरण के लिए आवेदन

प्रयोजन (कृपया चिन्हित करें): अनुमोदन ☐ अनुदान ☐ संशोधन ☐ अंतरण ☐

1. आवेदक का ब्यौरा:

(क) नाम, जिसमें अनुज्ञप्ति की मांग की गई है (नीचे टिप्पण देखिए) -----

(ख) आवेदक के प्रकार: व्यक्तिगत ☐ स्वामित्व ☐ भागीदारी फर्म ☐

(कृपया चिन्हित करें) सोसाइटी ☐ कंपनी ☐

(ग) यदि व्यक्ति, तो उसकी आयु -----

(घ) डाक पता -----

शहर ----- जिला ----- राज्य ----- पिन कोड-----

(ङ) एसटीडी कोड सहित फोन नं.----- मोबाइल नं ----- ई-मेल -

2. आवेदक की अर्हता और अनुभव:

(क) आवेदक की अर्हता -----

(ख) आवेदक का विस्फोटकों की संभलाई और विस्फोटन में अनुभव (वर्षों में) -----

(ग) कार्यरत शॉट फायरर का अनुज्ञप्ति क्रमांक -----

3. (क) उस परिसर का पता, जहां कंप्रेसर आधारित मोटर ट्रक या ट्रैक्टर, जब प्रयोग में न हो, सामान्यता खड़ा किया जाता है:

(ख) उस क्षेत्र की विशिष्टियां, जहां कंप्रेसर आधारित मोटर ट्रक या ट्रैक्टर का कुआ खोदने के प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाता है:

4. रखने एवं बिक्री के लिए प्रस्तावित विस्फोटकों की मात्रा:

विस्फोटकों का वर्ग एवं नाम	आवेदित मात्रा (कि.ग्रा./संख्या/ मीटर)	अनुमत अधिकतम मात्रा (कि.ग्रा./संख्या/ मीटर)
विस्फोटक वर्ग 2 और/या 3		25 कि.ग्रा
सुरक्षा फ्यूज वर्ग 6(1)		200 मीटर
डिटोनेटिंग फ्यूज वर्ग 6(2)		100 मीटर
डिटोनेटर्स वर्ग 6 (3)		200 संख्या

5. कंप्रेसर आधारित मोटर ट्रक या ट्रैक्टर का ब्यौरा :

(क) मैक तथा मॉडल -----(ख) पंजीकरण संख्या -----

(ग) इंजन संख्या ----- (घ) चेसीस संख्या -----

(ङ) वाहन के पंजीकृत स्वामी का नाम -----

(च) विस्फोटकों बक्सों का ब्यौरा : फैब्रीकेटर का नाम -----अनुमोदन संख्या ---

6. (क) क्या आवेदक द्वारा पिछले 10 वर्षों के दौरान विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अधीन अन्य अनुज्ञप्ति धारित की गई? (हां/नहीं)

(ख) क्या आवेदक द्वारा धारित किसी अनुज्ञप्ति को पिछले 10 वर्षों के दौरान रद्द किया गया या नवीकृत नहीं किया गया? (हां/नहीं)

(ग) क्या आवेदक को पिछले 10 वर्षों के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय VIII के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है या बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश दिया गया है? हां..... नहीं....

यदि उपरोक्त किसी प्रश्न का उत्तर हां है, तो ब्यौरा दें

7. संलग्न दस्तावेजों की सूची:

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई विशिष्टियां सही हैं।

तारीख:

ऊपर उक्त बॉक्स में आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

पूरा नाम -----

(कंपनी की दशा में प्राधिकृत व्यक्ति)

टिप्पण: कृपया प्रयोजन और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों के लिए नियम देखिए।

- (1) उस दशा में, जहां आवेदन, किसी व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहां नियम 2 के अनुसार अधिभोगी और, यथास्थिति, निदेशकों या भागीदारों या सदस्यों के नाम और पते तथा प्राधिकृत व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर संलग्न किए जाएं।
- (2) अधिभोगी के पासपोर्ट आकार की हस्ताक्षरित रंगीन फोटो की छह प्रतियां संलग्न की जाएं।
- (3) उपरोक्त सूचना में किसी परिवर्तन की सूचना तुरन्त अनुज्ञापन प्राधिकारी या अनुज्ञप्ति नवीकरण प्राधिकारी को दी जाए।

कानूनी चेतावनी: विस्फोटकों को गलत ढंग से संभलाई और उनका दुरुपयोग विधि के अधीन गंभीर अपराध माना जाएगा।

प्ररूप एई -5

(विस्फोटक नियम, 2008 का नियम 113 देखिए)

अनुसूची 4 के भाग 1 के अनुच्छेद 5(क) से 5(च) के अनुसार प्ररूप एल.ई. 5 में अनुज्ञप्ति के अनुमोदन या अनुदान या संशोधन या अंतरण के लिए आवेदन



प्रयोजन (कृपया चिन्हित करें): अनुमोदन ☐ अनुदान ☐ संशोधन ☐ अंतरण ☐

1. आवेदक के प्रकार: व्यक्तिगत ☐ कंपनी ☐ भागीदारी फर्म ☐ सोसाइटी ☐

(कृपया चिन्हित करें) सांपत्तिक फर्म ☐

2. आवेदक का ब्यौरा:

(क) नाम, जिसमें अनुज्ञप्ति की मांग की गई है (नीचे टिप्पण देखिए) -----

(ख) आधार संख्या/ सीआईएन संख्या/ फर्म पंजीकरण संख्या -----

(ग) यदि व्यक्ति, तो उसकी आयु -----

(घ) डाक पता -----

शहर ----- जिला ----- राज्य ----- पिन कोड -----

एसटीडी कोड सहित फोन नं.----- मोबाइल नं ----- ई-मेल -----

3. प्रस्तावित परिसर का पता:

सर्वे/ गाटा नं./खसरा नं ----- नगर/गांव -----

मंडल/तालुक/तहसील ----- रेलवे स्टेशन -----

पुलिस थाना ----- जिला -----

राज्य ----- पिन कोड -----

4. आवेदक की अर्हताएं और अनुभव -----

5. रखने हेतु प्रस्तावित विस्फोटकों की मात्रा:

क्रम संख्या	विस्फोटकों का नाम और ब्यौरा	वर्ग और प्रभाग	किसी एक समय रखी जाने के लिए प्रस्तावित मात्रा (कि.ग्रा. /संख्या /मीटर में)

6. यदि विस्फोटक प्रयुक्त किए जाने हैं तो प्रयोग के प्रयोजन से संबंधित विशिष्टियां दी जाए -----

7. (क) विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अधीन अन्य अनुज्ञप्तियों का ब्यौरा, यदि आवेदक द्वारा विगत 10 वर्ष से धारित हो --

(ख) क्या कोई अनुज्ञप्ति रद्द की गई या नवीकृत नहीं की गई? हाँ.... नहीं....

यदि हां, तो कृपया ब्योरा दे -----

8. (क) क्या आवेदक को पिछले 10 वर्ष के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 8 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है या बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश दिया गया है? हाँ..... नहीं....

(ख) यदि हां, तो कृपया ब्योरा दे -----

9. संलग्न दस्तावेजों की सूची:

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई विशिष्टियां सही हैं।

तारीख:

ऊरोक्त बॉक्स में आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

पूरा नाम -----

(कंपनी की दशा में प्राधिकृत व्यक्ति)

टिप्पण: कृपया प्रयोजन और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों के लिए नियम देखिए ।

(1) उस दशा में, जहां आवेदन, किसी व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहां नियम 2 के अनुसार अधिभोगी और, यथास्थिति, निदेशकों या भागीदारों या सदस्यों के नाम और पते तथा प्राधिकृत व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर संलग्न किए जाए ।

(2) अधिभोगी के पासपोर्ट आकार की हस्ताक्षरित रंगीन फोटो की छह प्रतियां संलग्न की जाए ।

(3) उपरोक्त सूचना में किसी परिवर्तन की सूचना तुरन्त अनुज्ञापन प्राधिकारी या अनुज्ञप्ति नवीकरण प्राधिकारी को दी जाए ।

कानूनी चेतावनी: विस्फोटकों को गलत ढंग से संभलाई और उनका दुरुपयोग विधि के अधीन गंभीर अपराध माना जाएगा ।

प्ररूप एई -6

(विस्फोटक नियम, 2008 का नियम 113 देखिए)

आतिशबाजी के प्रदर्शन के लोक अनुज्ञप्ति के अनुमोदन या अनुदान के लिए आवेदन

प्रयोजन (कृपया चिन्हित करें)): अनुमोदन ☐ अनुदान ☐

1. आवेदक के प्रकार: व्यक्तिगत ☐ कंपनी ☐ भागीदारी फर्म ☐ सोसाइटी ☐

(कृपया चिन्हित करें) सांपत्तिक फर्म ☐

2. आवेदक का ब्यौरा:

(क) नाम, जिसमें अनुज्ञप्ति की मांग की गई है (नीचे टिप्पण देखिए) -----

(ख) आधार संख्या/ सीआईएन संख्या/ फर्म पंजीकरण संख्या

(ग) यदि व्यक्ति, तो उसकी आयु -----

(घ) डाक पता -----

शहर ----- जिला ----- राज्य ----- पिन कोड-----

एसटीडी कोड सहित फोन नं.----- मोबाइल नं ----- ई-मेल -----

3. प्रस्तावित परिसर का पता:

सर्वे/ गाटा नं./खसरा नं ----- नगर/गांव -----
 मंडल/तालुक/तहसील ----- रेलवे स्टेशन -----
 पुलिस थाना ----- जिला राज्य -----
 पिन कोड -----

4. आवेदक और उसके द्वारा नियोजित तकनीकी कर्मियों की अर्हताएं और अनुभव (व्यक्तियों का ब्यौरा दें और यदि अपेक्षित हो पृथक पन्ना संलग्न करें) -----

5. प्रदर्शन का अधीक्षण करने वाले व्यक्तियों के नाम, अर्हता और अनुभव:

6. उपयोग की जाने वाली आतिशबाजी का वर्णन और मात्रा :.....

7. आतिशबाजी के आपूर्तिकर्ता की विवरणियां:

(क) नाम
 (ख) पता
 (ग) अनुज्ञप्ति की विशिष्टियां

8. स्थल का ब्यौरा जहाँ आतिशबाजी को भंडारित किया जाएगा :.....

9. (क) प्रदर्शित की जाने वाली आतिशबाजी का वर्णन और मात्रा:

(ख) प्रदर्शन की तारीख और समय:
 (ग) जहां प्रदर्शन किया जाएगा उस स्थान की अवस्थिति:

10. (क) विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अधीन अन्य अनुज्ञप्तियों का ब्यौरा, यदि आवेदक द्वारा विगत 10 वर्षों से धारित हो -----

(ख) क्या कोई अनुज्ञप्ति रद्द की गई या नवीकृत नहीं की गई? हाँ.... नहीं....
 यदि हां, तो कृपया ब्यौरा दे -----

11. (क) क्या आवेदक को पिछले 10 वर्ष के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 8 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है या बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश दिया गया है? हाँ..... नहीं....

(ख) यदि हां, तो कृपया ब्यौरा दे -----

12. संलग्न दस्तावेजों की सूची:

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई विशिष्टियां सही हैं।

तारीख:

ऊपरोक्त बॉक्स में आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

पूरा नाम -----

(कंपनी की दशा में प्राधिकृत व्यक्ति)

टिप्पण: कृपया प्रयोजन और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों के लिए नियम देखिए।

(1) उस दशा में, जहां आवेदन, किसी व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहां नियम 2 के अनुसार अधिभोगी और, यथास्थिति, निदेशकों या भागीदारों या सदस्यों के नाम और पते तथा प्राधिकृत व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर संलग्न किए जाए।

(2) अधिभोगी के पासपोर्ट आकार की हस्ताक्षरित रंगीन फोटो की छह प्रतियां संलग्न की जाए।

(3) उपरोक्त सूचना में किसी परिवर्तन की सूचना तुरन्त अनुज्ञापन प्राधिकारी या अनुज्ञप्ति नवीकरण प्राधिकारी को दी जाए।

कानूनी चेतावनी: विस्फोटकों को गलत ढंग से संभलाई और उनका दुरुपयोग विधि के अधीन गंभीर अपराध माना जाएगा।

प्ररूप एई -7

(विस्फोटक नियम, 2008 का नियम 113 देखिए)

सड़क वैन या मोटर ट्रक पर आरूढ़ फिक्स्ड चेसिस मालवाहक डिब्बा या गूस नेक टाइप सेमी ट्रेलर वाहन में विस्फोटकों के परिवहन के लिए अनुज्ञप्ति के अनुमोदन या अनुदान या संशोधन या अंतरण के लिए आवेदन

प्रयोजन (कृपया चिन्हित करें): अनुमोदन ☐ अनुदान ☐ संशोधन ☐ अंतरण ☐

1. आवेदक का ब्यौरा:

(क) नाम, जिसमें अनुज्ञप्ति की मांग की गई है (नीचे टिप्पण देखिए) -----

(ख) आवेदक का प्रकार: व्यक्तिगत ☐ स्वामित्व ☐ भागीदारी फर्म ☐(कृपया चिन्हित करें) सोसाइटी ☐ सांपत्तिक फर्म ☐

(ग) यदि व्यक्ति, तो उसकी आयु -----

(घ) डाक पता -----

शहर ----- जिला ----- राज्य ----- पिन कोड-----

(ड) एसटीडी कोड सहित फोन नं.----- मोबाइल नं ----- ई-मेल -----

2. उस परिसर का पता, जहां विस्फोटक वैन को सामान्यता खड़ा किया जाता है: -----

3. वहन किए जाने वाले विस्फोटकों का प्रकार और मात्रा: -----

4. सड़क वैन/ फ्रेट कंटेनर का ब्यौरा :

(क) मैक तथा मॉडल ----- (ख) पंजीकरण संख्या -----

(ग) इंजन संख्या ----- (घ) चेसीस संख्या -----

(च) ट्रेलर चेसीस संख्या और मैक (यदि लागू हो) -----

(छ) कंटेनर पहचान संख्या -----

(ज) फ्रेट कंटेनर का ब्यौरा

(झ) वाहन के पंजीकृत मालिक का नाम -----

(ञ) सकल यान भार (कि.ग्रा.में) ----- (ट) बिन लदाई भार----- (कि.ग्रा.में)

(ठ) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा वहन क्षमता----- (कि.ग्रा.में)

5. विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अधीन अन्य अनुज्ञप्तियों का ब्यौरा , यदि आवेदक द्वारा विगत 10 वर्षों से धारित हो -----

6. क्या कोई अनुज्ञप्ति रद्द की गई या नवीकृत नहीं की गई? हाँ..... नहीं.....

जानकारी दें -----

7. क्या आवेदक को पिछले 10 वर्षों के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय VIII के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है या बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश दिया गया है? हां..... नहीं.....यदि हां, तो कृपया ब्यौरा दे -

8. संलग्न दस्तावेजों की सूची:

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई विशिष्टियां सही हैं।

तारीख:

उपरोक्त बॉक्स में आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

पूरा नाम -----

(कंपनी की दशा में प्राधिकृत व्यक्ति)

टिप्पण: कृपया प्रयोजन और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों के लिए नियम देखिए।

- (1) उस दशा में, जहां आवेदन, किसी व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहां नियम 2 के अनुसार अधिभोगी और, यथास्थिति, निदेशकों या भागीदारों या सदस्यों के नाम और पते तथा प्राधिकृत व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर संलग्न किए जाएं।
- (2) अधिभोगी के पासपोर्ट आकार की हस्ताक्षरित रंगीन फोटो की छह प्रतियां संलग्न की जाएं।
- (3) उपरोक्त सूचना में किसी परिवर्तन की सूचना तुरन्त अनुज्ञापन प्राधिकारी या अनुज्ञप्ति नवीकरण प्राधिकारी को दी जाए।

कानूनी चेतावनी: विस्फोटकों को गलत ढंग से संभलाई और उनका दुरुपयोग विधि के अधीन गंभीर अपराध माना जाएगा।

प्ररूप एई -8

(विस्फोटक नियम, 2008 का नियम 113 देखिए)

विस्फोटकों के आयात या निर्यात के अनुदान के लिए आवेदन

प्रयोजन ((कृपया चिन्हित करें): विस्फोटकों का आयात ☐ विस्फोटकों का निर्यात ☐

1. आवेदक का ब्यौरा: व्यक्तिगत ☐ स्वामित्व ☐ भागीदारी फर्म ☐ सोसाइटी ☐
(कृपया चिन्हित करें) सांपत्तिक फर्म ☐

2. आवेदक का ब्यौरा:

(क) नाम, जिसमें अनुज्ञप्ति की मांग की गई है -----

(ख) आधार संख्या/ सीआईएन संख्या/ फर्म पंजीकरण संख्या -----

(ग) यदि व्यक्ति, तो उसकी आयु -----

(घ) डाक पता -----

शहर ----- जिला ----- राज्य ----- पिन कोड -----

एसटीडी कोड सहित फोन नं. ----- मोबाइल नं ----- ई-मेल -----

3. विस्फोटकों के आयात और निर्यात का ब्यौरा :

क्रम संख्या	ब्यौरा	
1.	निर्यात: (क) निर्यात किए जाने हेतु प्रस्तावित विस्फोटकों का वर्गनाम, अधिकृत नाम और वर्ग (ख) निर्यात किए जाने हेतु प्रस्तावित विस्फोटकों का प्रकार एवं मात्रा	
	आयात: (क) आयात किए जाने हेतु प्रस्तावित विस्फोटकों का नाम और ब्यौरा वर्गनाम, यू.एन. नंबर, जोखिम प्रभाग और अनुकूलन समूह (ख) आयात किए जाने हेतु प्रस्तावित विस्फोटकों का प्रकार एवं मात्रा	

2.	(क) निर्यात की दशा में परेषिती का नाम और पता (ख) आयात की दशा में परेषक का नाम और पता	
3.	आयात / निर्यात का ढंग (जल/हवाई मार्ग/सड़क मार्ग)	
4.	(क) जल / हवाई मार्ग से निर्यात की दशा में स्थान या प्रेषण का पत्तन। (ख) सड़क मार्ग से निर्यात की दशा में भारतीय सीमा का नाम। (ग) आयात की दशा में लदान के विदेशी पत्तन का देश।	
5.	(क) उस परिसर के अनुज्ञप्ति संबंधी विशिष्टियां जहां से विस्फोटकों का निर्यात किया जाएगा। (ख) उस परिसर के अनुज्ञप्ति संबंधी विशिष्टियां जहां पर विस्फोटकों के आयात के पश्चात विस्फोटकों का भंडारण किया जाएगा।	
6.	क्या आयात / निर्यात किए जा रहे विस्फोटक प्राधिकृत हैं, यदि हां तो कृपया ब्यौरा दे	
7.	प्रस्तावित निर्यात परेषण ब्रेक बल्क या अधानीकृत है:	

4. (क) क्या आवेदक को पिछले 10 वर्षों के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय VIII के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है या बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश दिया गया है? हां..... नहीं.....

(ख) यदि हां, तो कृपया ब्यौरा दें -----

5. (क) क्या आपने विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अधीन पिछले 10 वर्ष के दौरान कोई अनुज्ञप्ति धरित की है? हां..... नहीं.....

(ख) यदि हां, तो क्या कोई अनुज्ञप्ति रद्द की गई या नवीकृत नहीं की गई? हाँ..... नहीं.....

(ग) यदि हां, तो कृपया ब्यौरा दे -----

6. संलग्न दस्तावेजों की सूची:

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई विशिष्टियां सही हैं।

तारीख:

उपरोक्त बॉक्स में आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

(कंपनी की दशा में प्राधिकृत व्यक्ति)

(पूरा नाम) -----

टिप्पण: कृपया प्रयोजन और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों के लिए नियम देखिए।

(1) उस दशा में, जहां आवेदन, किसी व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहां नियम 2 के अनुसार अधिभोगी और, यथास्थिति, निदेशकों या भागीदारों या सदस्यों के नाम और पते तथा प्राधिकृत व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर संलग्न किए जाएं।

(2) अधिभोगी के पासपोर्ट आकार की हस्ताक्षरित रंगीन फोटो की छह प्रतियां संलग्न की जाएं।

(3) उपरोक्त सूचना में किसी परिवर्तन की सूचना तुरन्त अनुज्ञापन प्राधिकारी या अनुज्ञप्ति नवीकरण प्राधिकारी को दी जाए।

कानूनी चेतावनी: विस्फोटकों को गलत ढंग से संभलाई और उनका दुरुपयोग विधि के अधीन गंभीर अपराध माना जाएगा।

प्ररूप एई -9

(विस्फोटक नियम, 2008 का नियम 113 देखिए)

प्ररूप एल.ई. 9 (विशेष) में अनुज्ञप्ति के अनुदान या संशोधन या अंतरण के लिए आवेदन

प्रयोजन ((कृपया चिन्हित करें): अनुदान ☐ संशोधन ☐1. आवेदक के प्रकार: व्यक्तिगत ☐ कंपनी ☐ भागीदारी फर्म ☐ सोसाइटी ☐
((कृपया चिन्हित करें) सांपत्तिक फर्म ☐

2. आवेदक का ब्यौरा:

(क) नाम, जिसमें अनुज्ञप्ति की मांग की गई है (नीचे टिप्पण देखिए) -----

(ख) आधार संख्या/ सीआईएन संख्या/ फर्म पंजीकरण संख्या -----

(ग) यदि व्यष्टि, तो उसकी आयु -----

(घ) डाक पता -----

शहर ----- जिला ----- राज्य ----- पिन कोड-----

एसटीडी कोड सहित फोन नं.----- मोबाइल नं ----- ई-मेल -----

3. प्रस्तावित परिसर का पता:

सर्वे/ गाटा नं./खसरा नं ----- नगर/गांव -----

मंडल/तालुक/तहसील ----- रेलवे स्टेशन -----

पुलिस थाना ----- जिला -----

राज्य ----- पिन कोड -----

4. आवेदक और उसके द्वारा नियोजित तकनीकी कर्मियों की अर्हताएं और अनुभव (व्यक्तियों का

ब्यौरा दें और यदि अपेक्षित हो, पृथक पन्ना संलग्न करें) -----

5. विनिर्माण हेतु प्रस्तावित विस्फोटकों की मात्रा:

विस्फोटकों का नाम और ब्यौरा	वर्ग एवं प्रभाग	यू.एन. वर्गीकरण एवं संख्या	प्रस्तावित प्रतिदिन उत्पादन (एमटी/ एम. संख्या/ एम. मीटर में)	प्रस्तावित वार्षिक उत्पादन (एमटी/ एम. संख्या/ एम. मीटर में)	औद्योगिक अनुज्ञप्ति के अनुसार वार्षिक क्षमता (एमटी/ एम. संख्या/ एम. मीटर में)

6. (क) विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अधीन अन्य अनुज्ञप्तियों का ब्यौरा, यदि आवेदक द्वारा विगत 10 वर्षों से धारित हो -

(ख) क्या कोई अनुज्ञप्ति रद्द की गई या नवीकृत नहीं की गई? हाँ.... नहीं....

यदि हां, तो कृपया ब्यौरा दे -----

7. (क) क्या आवेदक को पिछले 10 वर्ष के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 8 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है या बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश दिया गया है? हाँ..... नहीं....

(ख) यदि हां, तो कृपया ब्यौरा दे -----

11. संलग्न दस्तावेजों की सूची:

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई विशिष्टियां सही हैं।

तारीख:

उपरोक्त बॉक्स में आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

पूरा नाम -----

(कंपनी की दशा में प्राधिकृत व्यक्ति)

टिप्पण: कृपया प्रयोजन और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों के लिए नियम देखिए।

(1) उस दशा में, जहां आवेदन, किसी व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहां नियम 2 के अनुसार अधिभोगी और, यथास्थिति, निदेशकों या भागीदारों या सदस्यों के नाम और पते तथा प्राधिकृत व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर संलग्न किए जाए।

(2) अधिभोगी के पासपोर्ट आकार की हस्ताक्षरित रंगीन फोटो की छह प्रतियां संलग्न की जाए।

(3) उपरोक्त सूचना में किसी परिवर्तन की सूचना तुरन्त अनुज्ञापन प्राधिकारी या अनुज्ञप्ति नवीकरण प्राधिकारी को दी जाए।

कानूनी चेतावनी: विस्फोटकों को गलत ढंग से संभलाई और उनका दुरुपयोग विधि के अधीन गंभीर अपराध माना जाएगा।

प्ररूप आई -10

(विस्फोटक नियम, 2008 का नियम 113 देखिए)

खान अधिनियम, 1952 के अधीन न आने वाले क्षेत्रों में विस्फोटकों का विस्फोटन करने के लिए शाट प्रमाणपत्र के अनुदान या संशोधन के लिए आवेदन

प्रयोजन (कृपया चिन्हित करें): अनुदान ☐

संशोधन ☐

1. आवेदक का ब्यौरा:

(क) नाम -----

(ख) पिता का नाम -----

(ग) आयु (दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें) -----

(घ) डाक पता -----

शहर ----- जिला ----- राज्य ----- पिन कोड -----

एसटीडी कोड सहित फोन नं. ----- मोबाइल नं ----- ई-मेल -----

2. आवासीय पता (पते का सबूत संलग्न करें):

मकान नं/प्लॉट नं. ----- नगर/गांव -----

मंडल/तालुक/तहसील ----- पुलिस थाना -----

जिला ----- राज्य ----- पिन कोड -----

3. आवेदक की अर्हताएं और अनुभव (दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें) : -----
4. क्या आवेदक नियोजित है; यदि हां, तो नियोजक का नाम और पता: -----
5. मैगज़ीन अनुज्ञप्ति धारक जिसके साथ शाट फायर जोड़ा जाना है उसके अनुज्ञप्ति का ब्यौरा : -----
6. विशेषज्ञता का क्षेत्र : -----
7. अनापत्ति प्रमाणपत्र की विशिष्टियां :
- (क) जिनके द्वारा प्रमाणपत्र जारी किया गया -----
- (ख) प्रमाणपत्र संख्या और तारीख -----
8. उस प्रवर्ग और किस्म की विशिष्टियां, जिसके लिए प्रमाणपत्र अपेक्षित है (नीचे टिप्पण देखिए): -----
9. संलग्न दस्तावेजों की सूची:
- मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि
- (i) उपरोक्त विशिष्टियां सही हैं।
- (ii) मुझे यह जानकारी है कि विस्फोटक संचालित करने से पूर्व मेरे द्वारा स्थानीय प्राधिकारी से विस्फोटन संक्रिया संचालन करने हेतु अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित है।
- (iii) मुझे यह जानकारी है कि विस्फोटक को मेरे द्वारा किसी अप्राधिकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) को अविधिमान्य रूप से अंतरित किया जाता है, तो यह आतंकवादी क्रियाकलाप होगा, जो दंडनीय अपराध का दायी होगा।
- (iv) विस्फोटन से पहले और सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले घोषणा।
- (v) मुझे यह जानकारी है कि मैं विस्फोटकों के खरीद और भंडारण करने लिए प्राधिकृत नहीं हूँ।

तारीख:

उपरोक्त बॉक्स में आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

पूरा नाम -----

टिप्पण: (1) कृपया जन्म-तिथि, शैक्षिक अर्हताएं, अनुभव दर्शाने वाले प्रमाणपत्र और चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र की अनुप्रमाणित प्रति संलग्न करें।

(2) नियम 107 के अनुसार विस्फोटन का प्रवर्ग और प्रकार:

वर्ग	प्रवर्ग	अनुज्ञात विस्फोटन की किस्म
क	असीमित	सभी प्रकार के विस्फोटन
ख	साधारण भूमि के ऊपर	भूमि के ऊपर विस्फोटन संक्रिया के सभी चरण
ग	साधारण भूमि के नीचे	भूमि के नीचे विस्फोटन संक्रिया के सभी चरण
घ	ढहाना	भंजन परियोजनाओं में विस्फोटन के सभी चरण
ङ	भूकंपीय	भूकंपीय पूर्वक्षण या उत्पादन में विस्फोटन के सभी चरण
च	कृषि	कृषि और कुआं खुदाई में विस्फोटन के सभी चरण
छ	विशेष	उपरोक्त प्रवर्गों के अंतर्गत न आने वाले विशेष प्रयोजन के लिए विस्फोटन

कानूनी चेतावनी: विस्फोटकों को गलत ढंग से संभलाई और उनका दुरुपयोग विधि के अधीन गंभीर अपराध का माना जाएगा।

प्ररूप एई -11

(विस्फोटक नियम, 2008 का नियम 113 देखिए)

आतिशबाजी या सुरक्षा फ्यूज के विनिर्माण का अधीक्षण करने हेतु फोरमैन के प्रमाणपत्र के अनुदान या संशोधन के लिए आवेदन

प्रयोजन (कृपया चिन्हित करें): अनुदान ☐

संशोधन ☐

1. आवेदक का ब्यौरा:

(क) नाम -----

(ख) पिता का नाम -----

(ग) आयु (दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें) -----

(घ) डाक पता -----

शहर ----- जिला ----- राज्य ----- पिन कोड -----

एसटीडी कोड सहित फोन नं. ----- मोबाइल नं. ----- ई-मेल -----

2. आवासीय पता (पते का सबूत संलग्न करें):

मकान नं./प्लॉट नं. ----- नगर/गांव -----

मंडल/तालुक/तहसील ----- पुलिस थाना -----

जिला ----- राज्य ----- पिन कोड -----

3. आवेदक की अर्हताएं और अनुभव (दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें) : -----

4. विशेषज्ञता का क्षेत्र : -----

5. (क) उस कारखाने का नाम और पता जहां आवेदक ने अनुभव अर्जित किया है: -----

(ख) प्रक्रिया या संक्रिया की विशिष्टियां, जिसमें आवेदक ने अनुभव प्राप्त किया है: -----

6. (क) उस कारखाने का नाम और पता जहां आवेदक वर्तमान में कार्य कर रहा है: -----

(ख) हैसियत जिसमें आवेदक वर्तमान में कार्य कर रहा है: -----

7. अन्य कोई सूचना: -----

8. संलग्न दस्तावेजों की सूची:

मैं यह प्रमाणित करता हूं कि उपरोक्त विशिष्टियां सही हैं।

तारीख: -----

उपरोक्त बॉक्स में आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान : -----

पूरा नाम -----

टिप्पण: कृपया आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें:

(i) पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ की दो प्रतियां।

(ii) अनुभव प्रमाणपत्र।

(iii) आयु दर्शाता प्रमाणपत्र।

(iv) यह कथन करने वाला अपेक्षित प्रमाणपत्र कि आवेदक विकलांग नहीं है और अच्छे स्वास्थ्य वाला है।

कानूनी चेतावनी: विस्फोटकों को गलत ढंग से संभलाई और उनका दुरुपयोग विधि के अधीन गंभीर अपराध का माना जाएगा।”;

(ii) आवेदन प्ररूप एई -12 में,-

(क) क्रम संख्या 2 के मद संख्या (ग) में के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

“(ग)डाक का पता.....

सर्वे नंबर/गट संख्या.....गाँव/शहर..... तालुका/मण्डल.....

जिला.....राज्य.....पिन कोड.....

फोन नं.....ईमेल.....फैक्स.....मोबाइल नं”;

(iii) भाग 2 के स्थान पर निम्नलिखित भाग रखा जाएगा, अर्थात;

भाग-2

अनापत्ति प्रमाणपत्र का प्रारूप

(विस्फोटक नियम, 2008 का नियम 102 और 103 देखिए)

विषय: विस्फोटक नियम, 2008 के अधीन अनापत्ति प्रमाणपत्र

सं.

तारीख:

श्री/मैसर्स..... द्वारा..... तारीख को प्ररूप ए.ई. 12 में प्रस्तुत आवेदन के संदर्भ में और विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 102 और नियम 103 के अनुसरण में, श्री/मैसर्स..... के लिए सम्यक रूप से पृष्ठांकित और इससे संलग्न स्थल नक्शे में दर्शित किए गए सर्वेक्षण सं./गाटा सं./ खसरा सं.....ग्राम....., तालुक..... जिला..... राज्य.....पर परिसर में निम्नलिखित प्रयोजन, प्रकार और मात्रा के लिए विस्फोटकों की अनुज्ञप्ति देने के लिए कोई आपत्ति नहीं है।

1. प्रयोजन (टिप्पण: विस्फोटक नियम, 2008 से उपाबद्ध अनुसूची 4 के भाग 1 के प्रयोजनों और प्राधिकार की सारणी में यथावर्णित अनुच्छेद संख्या का तत्स्थानी केवल एक प्रयोजन लिखिए):

.....
.....
.....

2. विस्फोटकों की किस्म और मात्रा:

क्रम संख्या	विस्फोटकों के नाम	वर्ग और प्रभाग	मात्रा
1.			
2.			
3.			

3. इस अनापत्ति प्रमाणपत्र को जारी करते समय निम्नलिखित विशिष्टियां सत्यापित/विचारित कर ली गई हैं।

(क) आवेदक का पूर्ववृत्त (व्यष्टि या स्वामित्व फर्म की दशा में) /भागीदार या कार्यालय (भागीदार या कंपनी की दशा में) या निदेशक (कंपनी की दशा में) या कार्यालय के पदाधिकारी सोसाइटी या संस्था की दशा में और परिसर के अधिभोगी।

(ख) आवेदक द्वारा स्थल का विधिपूर्ण कब्जा।

- (ग) लोकहित ।
- (घ) खान या खदानों में (आवेदक के कब्जे वाली) या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र में प्रयोग के लिए विस्फोटकों की आवश्यकता पर विचार किया गया है।
- (ङ) प्रयोजन की यथार्थता ।

अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर और कार्यालय की मुद्रा
(जिला मैजिस्ट्रेट या खान सुरक्षा महानिदेशालय)

टिप्पण: (1) प्रयोजन की यथार्थता से विनिर्माण के संबंध में अभिप्रेत है--क्या विस्फोटक के विनिर्माण के क्षेत्र या राज्य या देश में विधिपूर्ण रचनात्मक प्रयोग के लिए या निर्यात प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

(2) पूर्ववृत्त और क्र. सं. (क) और (ख) में यथावर्णित आवेदक द्वारा स्थल की विधिपूर्ण स्थिति का सत्यापन, खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा अनुदत्त अनापत्ति प्रमाणपत्र की दशा में लागू नहीं होंगे।

(iv) भाग 3 में -

(अ) प्ररूप एलई- 1 में -

(क) क्रम संख्या 1 में पुलिस स्टेशन से आरंभ होने वाले और स्टीमर घाट के साथ समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“एतद्वारा अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाती है:

नाम.....

डाक का पता.....

सर्वे नंबर/गट संख्या.....गाँव/शहर..... तालुका/मण्डल.....

जिला.....राज्य.....पिन कोड.....

फोन नं.....ईमेल.....फैक्स.....मोबाइल नं.....”;

(ख) क्रम संख्या 1 के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किया जाएगा;

"1 (क) अधिभोगी का नाम श्री..... "

(आ) प्ररूप एलई- 2 में -

(क) क्रम संख्या 1 में पुलिस स्टेशन से आरंभ होने वाले और स्टीमर घाट के साथ समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

एतद्वारा अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाती है:

नाम.....

डाक का पता.....

सर्वे नंबर/गट संख्या.....गाँव/शहर..... तालुका/मण्डल.....

जिला.....राज्य.....पिन कोड.....

फोन नं.....ईमेल.....फैक्स.....मोबाइल नं.....

(ख) क्रम संख्या 1 के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किया जाएगा;

"1 (क) अधिभोगी का नाम श्री..... "

(इ) प्ररूप एलई- 3 में -

(क) मद संख्या (क) में “25 किलोग्राम से अनधिक” शब्दों एवं अंकों के स्थान पर “50 किलोग्राम से अनधिक” शब्दों एवं अंक रखा जाएगा;

(ख) मद संख्या (घ) में, “या 50000 मीटर से अनधिक सुरक्षा फ्यूज” शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ग) क्रम संख्या 1 में पुलिस स्टेशन से आरंभ होने वाले और स्टीमर घाट के साथ समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

एतद्वारा अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाती है:

नाम.....

डाक का पता.....

सर्वे नंबर/गट संख्या.....गाँव/शहर..... तालुका/मण्डल.....

जिला.....राज्य.....पिन कोड.....

फोन नं.....ईमेल.....फैक्स.....मोबाइल नं.....

(घ) क्रम संख्या 1 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम अंतःस्थापित किया जाएगा;

"1 (क) अधिभोगी का नाम श्री"

(ङ) क्रम संख्या 4 के मद संख्या (ख) में, "अनुच्छेद", शब्द के पश्चात् "3(क)", शब्द और अंक अंतःस्थापित किया जाएगा।

(ई) प्ररूप एलई- 4 में -

(क) क्रम संख्या 1 में पुलिस स्टेशन से आरंभ होने वाले और स्टीमर घाट से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

एतद्वारा अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाती है:

नाम.....

डाक का पता.....

सर्वे नंबर/गाटा संख्या.....गाँव/शहर..... तालुका/मण्डल.....

जिला.....राज्य.....पिन कोड.....

फोन नं.....ईमेल.....फैक्स.....मोबाइल नं.....

(ख) क्रम संख्या 1 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम अंतःस्थापित किया जाएगा;

"1 (क) अधिभोगी का नाम श्री"

(उ) प्ररूप एलई- 5 में -

(क) मद संख्या (ख) में, "चाइनीज पटाखें" शब्दों के स्थान पर "चोरसा पटाखें" शब्द रखा जाएगा;

(ख) मद संख्या (च) में, अनधिक शब्द के पश्चात्, "चाइनीज पटाखें" शब्द के स्थान पर "चोरसा पटाखे" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) क्रम संख्या 1 में पुलिस स्टेशन से आरंभ होने वाले और स्टीमर घाट से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

एतद्वारा अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाती है:

नाम.....

डाक का पता.....

सर्वे नंबर/गाटा संख्या.....गाँव/शहर..... तालुका/मण्डल.....

जिला.....राज्य.....पिन कोड.....

फोन नं.....ईमेल.....फैक्स.....मोबाइल नं.....

(घ) क्रम संख्या 1 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम अंतःस्थापित किया जाएगा;

"1 (क) अधिभोगी का नाम श्री"

(ऊ) प्ररूप एलई- 6 में -

(क) क्रम संख्या 1 में पुलिस स्टेशन से आरंभ होने वाले और स्टीमर घाट से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

एतद्वारा अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाती है:

नाम.....

डाक का पता.....

सर्वे नंबर/गाटा संख्या.....गाँव/शहर..... तालुका/मण्डल.....

जिला.....राज्य.....पिन कोड.....

फोन नं.....ईमेल.....फैक्स.....मोबाइल नं.....

(ख) क्रम संख्या 1 के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किया जाएगा;

"1 (क) अधिभोगी का नाम श्री"

(ऋ) प्ररूप एलई- 7 में -

(क) शीर्षक में, "सड़क वैन में", शब्दों के पश्चात्, "या मोटर ट्रक पर आरूढ़ फिक्स्ड चेसिस मालवाहक डिब्बा या गूस नेक टाइप सेमी ट्रेलर वाहन" को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) क्रम संख्या 1 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

एतद्वारा अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाती है:

नाम.....

डाक का पता.....

सर्वे नंबर/गट संख्या.....गाँव/शहर..... तालुका/मण्डल.....

जिला.....राज्य.....पिन कोड.....

फोन नं.....ईमेल.....फैक्स.....मोबाइल नं.....

(ग) क्रम संख्या 1 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम अंतःस्थापित किया जाएगा;

"1 (क) अधिभोगी का नाम श्री"

(घ) शर्तों में,-

(i) क्रम संख्या (9) में, "सड़क वैन", शब्दों के पश्चात्, "या मोटर ट्रक पर आरूढ़ फिक्स्ड चेसिस मालवाहक डिब्बा या गूस नेक टाइप सेमी ट्रेलर वाहन" शब्दों के स्थान पर रखा जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 13 में, "आरई-5" शब्द और अंक को "आरई -6" शब्द और अंक रखा जाएगा;

(ए) प्ररूप एलई- 8 में -

(क) शीर्षक में, "भूमि द्वारा से अन्यथा" शब्दों का लोप किया जाएगा।

(ख) क्रम संख्या 1 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

एतद्वारा अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाती है:

नाम.....

डाक का पता.....

सर्वे नंबर/गट संख्या.....गाँव/शहर..... तालुका/मण्डल.....

जिला.....राज्य.....पिन कोड.....

फोन नं.....ईमेल.....फैक्स.....मोबाइल नं.....

(ख) क्रम संख्या (1) के पश्चात् निम्नलिखित क्रम अंतःस्थापित किया जाएगा;

"1 (क) अधिभोगी का नाम श्री"

(घ) शर्तों में,-

(i) क्रम संख्या (1) में, शब्द "आयातित" के पश्चात् "या निर्यातित" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा।"

(ii) क्रम संख्या (2) में, शब्द "आयातित" के पश्चात् "या निर्यातित" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा।"

(iii) क्रम संख्या (3) के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"(3) इस अनुज्ञप्ति के अधीन आयातित या निर्यातित सभी विस्फोटकों को विस्फोटक नियम, 2008 की अनुसूची 2 के नियम 15 और भाग 2 के उपबंधों के अनुसरण में पैक और चिन्हांकित किया जाएगा।"

(ऐ) प्ररूप एलई- 9 में -

(क) क्रम संख्या 1 में पुलिस स्टेशन से आरंभ होने वाले और स्टीमर घाट के साथ समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

एतद्वारा अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाती है:

नाम.....

डाक का पता.....

सर्वे नंबर/गट संख्या.....गाँव/शहर..... तालुका/मण्डल.....

जिला.....राज्य.....पिन कोड.....

फोन नं.....ईमेल.....फैक्स.....मोबाइल नं.....

(ख) क्रम संख्या 1 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम अंतःस्थापित किया जाएगा;

"1 (क) अधिभोगी का नाम श्री"

(v) भाग 4 में "विभिन्न अनुज्ञप्तियों की शर्तों" में,-

(क) सेट-1 के आरंभिक पैरा में "आतिशबाजी" शब्द के पश्चात्, "हवाई आतिशबाजी से भिन्न" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) सेट-2 में,-

(i) शुरूवाती पैरा में "आतिशबाजी" शब्द के पश्चात्, "या बारूद या दोनों" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ii) शर्तों में, "साधारण" शीर्ष के अधीन,-

(क) शर्त क्रमांक (6) में "सुरक्षा फ्यूज, सूक्ष्म खर फ्यूज" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) शर्त क्रमांक (9) में "प्रकाश और/या" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ग) शर्त क्रमांक (10) के पश्चात् निम्नलिखित शर्त को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(10क) क्रम संख्या (1) में शामिल कोई भी शर्त, विस्फोटकों के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त संघटकों के लिए लागू नहीं होगी।"

(घ) शर्त क्रमांक (13) में, "आपातकाल के दौरान", शब्द के पश्चात्, "ऑन-साईट आपातकालीन योजना और" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ङ) शर्त क्रमांक (18) में, "भंडार गृह", शब्द को "मैगजीन" शब्द के स्थान पर रखा जाएगा;

(च) शर्त क्रमांक (24) के पश्चात् और "आतिशबाजी के लिए विशेष शर्तों के पश्चात्, निम्नलिखित शर्तों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"24(क) मिश्रण और भरण कक्ष में, चिकनी सतह और ऊँचे किनारों वाले कान्क्रीट टेबल उपलब्ध कराए जाएंगे;

24(ख) मिश्रण और भरण शेड के बाहर, मानव शरीर के स्थिर प्रभार के अपव्यय हेतु कॉपर प्लेट संस्थापित किए जाएंगे;

24(ग) आतिशबाजी कारखाने में कार्यरत सभी श्रमिकों द्वारा सूती कपड़े पहने जाएंगे;

24(घ) विशेष प्रक्रिया की आवश्यकताओं के अनुसार, प्रत्येक कारखाने में, प्रमुखता से "क्या करें तथा क्या ना करें" स्थानीय भाषा में प्रदर्शित किए जाएंगे;

24(ङ) कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत पंजीकृत आतिशबाजी कारखानों द्वारा उपरोक्त अधिनियम और संगत नियमों के अनुसार, सुरक्षा अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा; फिर भी, ऐसे आतिशबाजी कारखाने जो कारखाना अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हैं, उनके द्वारा, कारखाने के किसी एक पर्यवेक्षक को, नोडल सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा;

24(च) निर्मित या अर्द्ध-निर्मित आतिशबाजी या संघटकों के, ट्राली या लो-लेवल कार्ट द्वारा सुरक्षित परिवहन हेतु, सभी विनिर्माण सुविधाओं को जोड़ने वाले सुकर मार्ग उपलब्ध कराए जाएंगे।"

(छ) शर्त क्रमांक (25) के पश्चात, निम्नलिखित शर्तों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(25क) अनुसूची-VII के विनिर्देश संख्या-3 के अनुसार हवाई आतिशबाजी के लिए मिश्रण/भरण/पेलेट बनाने/ पेलेट लदान/ शेल लदान/ पेलेट सुखाने का आच्छादित चबूतरा/ पेलेट सुखाने का मध्यवर्ती भवन/पेलेट के लिए ट्रांजिट शेड ब्लास्ट वॉल से घिरा होगा।"

(ज) शर्त क्रमांक (29) में, "एक शुष्कन प्लेटप्ररूप की व्यवस्था की जाएगी" शब्दों के स्थान पर "प्रक्रिया के आधार पर एक या एक से अधिक शुष्कन प्लेटप्ररूप की व्यवस्था की जाएगी" शब्दों को रखा जाएगा।

(झ) शर्त क्रमांक (38) में, एमेरसिस शब्द के स्थान पर एमोर सिस शब्द रखे जाएंगे।

(ञ) शर्त क्रमांक (39) में, "एमोरसिस या पेपरकैप में प्रयुक्त संयोजन ऐसे अनुपात में होगा, प्रत्येक 1000 दोनों के लिए 4.54 मिलीग्राम से अधिक नहीं होगा" शब्दों एवं संख्या के स्थान पर "एमोरसेस या पेपरकैप में प्रयुक्त संयोजन ऐसे अनुपात में होगा, प्रत्येक 1000 दोनों के लिए 4.54 ग्राम से अधिक नहीं होगा" शब्द एवं संख्या रखे जाएंगे।

(ट) शर्त क्रमांक (66) में, "आतिशबाजी", शब्द के पश्चात्, "और फुलझड़ियों" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा।

(ठ) शर्त क्रमांक, (80) के पश्चात, निम्नलिखित शर्तों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"बारूद के लिए विशेष शर्तें

(81) परिसर या उसके किसी भी हिस्से में, किसी एक समय में, बारूद की कुल मात्रा, अनुज्ञप्त मात्रा से अधिक नहीं होगी जिसके लिए अनुगति अनुजात की गई है।

(82) अनुसूची VIII के सुसंगत सारणी में यथानिर्दिष्ट, प्रक्रिया भवन या शेड जैसे, मिश्रण, कुटाई, कोर्निंग, छंटाई, सम्मिश्रण, ट्रांजिट भवन तथा सुखाने के चबूतरें, किसी भी प्रक्रिया भवन तक और भवन से आंतरिक सुरक्षा दूरी तथा चहारदीवारी से बाहरी सुरक्षा दूरी का पालन किया जाएगा।

(83) बॉल मिल, कोर्निंग मशीन, कुटाई मशीन, छंटाई मशीन, आदि विद्युत संचालित उपकरणों का प्रभावी ढंग से अर्थिग किया जाएगा और संबंधित इमारतों के दरवाजों में लिमिट स्विच का प्रबंध कर, ऐसी प्रक्रियाओं को दूरस्थ किया जाएगा।

(84) बारूद के विनिर्माण में क्लोरेट का उपयोग नहीं किया जाएगा।

(85) सुरक्षित कार्य प्रणाली के अनुसार ही प्रत्येक भवन या शेड में कार्य किया जाएगा।

(86) ऐसे भवनों के कंपार्टमेंट के आंतरिक भाग की जहां बारूद का विनिर्माण या हथलाई की जाती हैं और वहां रखी मशीनरी या फिटिंग्स की दिन के कार्य की समाप्ति पर सफाई की जाएगी।

(87) भवन के बारूद विनिर्माण या हथलाई कक्ष से निकला कूड़ा सावधानीपूर्वक इकट्ठा किया जाएगा और उसका सुरक्षित निपटारा किया जाएगा। उचित उपचार के पश्चात् ही उसे प्रवाहित किया जाएगा।

(88) आसन्न चूँको सहित सभी असुरक्षित घटनाओं को दर्ज किया जाएगा तथा उनका आवधिक पुनरीक्षण किया जाएगा।

(89) किसी भी स्थान जहाँ बारूद विनिर्माण या हथलाई हो, वहाँ केवल गैर लौह उपकरण और औजार का ही प्रयोग किया जाएगा।

(ग) सेट-III में, शर्त क्रमांक (11) के पश्चात्, निम्नलिखित शर्त अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

"(12) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्ररूप आरई-2 में सभी विनिर्मित एएनएफओ विस्फोटकों का अभिलेख और हिसाब रखा जाएगा और अनुज्ञापन प्राधिकारी के ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से प्रतिदिन लेखा प्रस्तुत किया जाएगा तथा नियमों के अधीन प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर वह अपना अभिलेख और लेखा प्रस्तुत करेगा।

(13) ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से विनिर्माण रिकॉर्ड का प्रस्तुतीकरण अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट तारीख से प्रवृत्त होगा";

(घ) सेट-IV में, शर्त क्रमांक (9) के पश्चात्, निम्नलिखित शर्त अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"(10) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्ररूप आरई-2 में सभी विनिर्मित लोकस विस्फोटकों का अभिलेख और हिसाब रखा जाएगा तथा नियमों के अधीन प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर वह अपना अभिलेख और लेखा प्रस्तुत करेगा।";

(ङ) सेट-V में, शर्त क्रमांक (12) में, "लेखा रखेगा", शब्दों के पश्चात् "और अनुज्ञापन प्राधिकारी के ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से प्रतिदिन प्रस्तुत करेगा" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(च) सेट-VI में, शर्त क्रमांक (13) के पश्चात्, निम्नलिखित शर्त अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"(14) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञापन प्राधिकारी के ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से सभी विनिर्मित विस्फोटकों का अभिलेख और हिसाब प्ररूप आरई-2 में रखा जाएगा तथा नियमों के अधीन प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर वह अपना अभिलेख और लेखा प्रस्तुत करेगा।";

(छ) सेट-VII में -

(i) शर्त क्रमांक (10) में, शब्द, अक्षर और अंक "आरई-2 और आरई-4" के स्थान पर क्रमशः "आरई-3 और आरई-5" शब्द, अक्षर और अंक को रखा जाएगा;

(ii) शर्त क्रमांक (16) में "तीन मास", शब्दों के स्थान पर "प्रत्येक माह" शब्द को रखा जाएगा;

(ज) सेट-VIII में -

(i) शर्त क्रमांक (11) में, "आरई-5" शब्द तथा अंक के पश्चात् "और आरई-13" शब्द, अक्षर तथा अंकों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ii) शर्त क्रमांक (14) में, "त्रैमासिक", शब्द के स्थान पर "मासिक" शब्द रखा जाएगा;

(iii) शर्त क्रमांक (28) के पश्चात् निम्नलिखित शर्तें अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"(29) विस्फोटकों के रखने एवं उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यक्ति, विस्फोटकों के उपयोग हेतु प्ररूप आरई-13 में पास जारी करेगा तथा अप्रयुक्त विस्फोटक (यदि कोई हो) तो अनुज्ञापन प्राधिकारी के ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से उसकी विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(30) अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से विस्फोटकों के बिक्री/उपयोग के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, आरई-11 में मांगपत्र जारी किया जाएगा, विस्फोटकों के बिक्री हेतु आरई-12 में और विस्फोटकों के उपयोग हेतु आरई-13 में पास जारी किया जाएगा।";

(झ) सेट-IX में -

(i) प्रारंभिक पैरा में, "या 50000 मीटर से अनधिक सुरक्षा फ्यूज" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) शर्त क्रमांक (2) के स्थान पर, निम्नलिखित शर्त को रखा जाएगा, अर्थात् :-

2								
3								
4								

प्ररूप..... में, अनुज्ञप्ति संख्या के के अधीन, पर स्थित प्रयुक्त मैग्जीन से खान अधिनियम 1952, के अधीन / खान के अलावा अन्य प्रयोग किए जानेवाले स्थान तक परिवहन के दौरान ।

3.	विस्फोटक रोड बैन सं. जिसकी अनुज्ञप्ति सं. जो तक वैध है द्वारा परिवहन किए जाएंगे या अन्य परिवहन के माध्यम से (निर्दिष्ट करें).....
3.1	डिटोनेटर्स रोड बैन सं. जिसकी अनुज्ञप्ति सं. जो तक वैध है द्वारा परिवहन किए जाएंगे या अन्य परिवहन के माध्यम से (निर्दिष्ट करें)
4.	उपयोग होने वाली खान के एजेंट/मालिक/प्राधिकृत व्यक्ति का नाम
5.	उपयोग के परिसर का पूरा पता
6.	होल्स की संख्या जिन्हें ब्लास्ट किया जाना है
7.	उपयोग का उद्देश्य
8.	मैगजीन और उपयोग होने वाले स्थान के बीच की लगभग दूरी

हस्ताक्षर ब्लास्टर का नाम/शाट फायरर प्रमाण पत्र संख्या.....	हस्ताक्षर उपयोग होने वाली खान के एजेंट/मालिक/प्राधिकृत व्यक्ति का नाम	हस्ताक्षर (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) (अनुज्ञप्तिधारी) के लिए अनुज्ञप्ति संख्या..... अनुज्ञप्ति प्ररूप
--	--	---

महत्वपूर्ण टिप्पणः

1. जारी किए गए विस्फोटक की मात्रा, दिन के दौरान इस्तेमाल होने की संभावित मात्रा में होना चाहिए।
2. उपयोग की जगह मैगजीन से इतनी दूर होनी चाहिए कि अगर कुछ विस्फोटक उपरोक्त के बच गया है तो उसे वापस परिवहन द्वारा भेजा जा सकता है और इस प्रकार उपरोक्त के संदर्भ में निर्दिष्ट मैगजीन में डिपॉजिट की जाएगी तो नियम 90(4) के अनुसार उसी दिन सूर्यास्त से पहले ही वापस मैगजीन में रख दिया जा सके. वापसी के बारे में प्रविष्टि भी ऑनलाइन की जानी चाहिए।

भाग - ब

यदि बचे हुए अप्रयुक्त विस्फोटकों को मैगज़ीन में जमा किया जाना है तो ही भरा जाये :

[illegible]

4									
5									

हस्ताक्षर ब्लास्टर/ शॉट फायरर का नाम प्रमाण पत्र सं.....	हस्ताक्षर उपयोग होने वाली खान के एजेंट/मालिक/प्राधिकृत व्यक्ति का नाम	हस्ताक्षर (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) कृते अनूज्ञा संख्या प्ररूप
---	--	---

(Vii) भाग 6 में, परीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर, शब्दों के पश्चात "विस्फोटक

नियंत्रक/" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(46) मूल नियम में, अनुसूची VI के भाग 2 में, "बल्क मिक्सिंग परिदान (बीएमडी) यान के लिए सुरक्षा उपबंध" के अधीन क्रम संख्या (17) के पश्चात निम्नलिखित क्रम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(18) निम्नलिखित सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे :

(1) इमलशन मिक्सर :

(क) बर्स्टिंग डिस्क – डिस्चार्ज पॉइंट के पहले जुड़ा हुआ।

(2) प्रोग्रेसिव कैविटी पंप्स :

(क) उच्च/निम्न दाब ट्रांसमीटर: पंप के करीब तथा 300 मिमी की अनधिक दूरी पर डिलीवरी लाइन में जोड़ा जाएगा।

(ख) बर्स्टिंग डिस्क- उच्च/निम्न दाब ट्रांसमीटर के जितने करीब हो सकें, डिलीवरी लाइन में, जोड़ा जाएगा।

(ग) तापमान नियंत्रक से जुड़ा सुरक्षा उपकरण - पंप के स्टेटर में जोड़ा जाएगा ।

(घ) इसके अलावा, डिलीवरी एण्ड की ओर, प्रोग्रेसिव कैविटी पंप के रोटर की नोक से अधिकतम 25 मिमी की दूरी पर टेम्परेचर ट्रिप का प्रबंध किया जाएगा ।

(3) सभी अपकेन्द्री पंप्स :

(क) यांत्रिक सील

(ख) तापमान नियंत्रक

(4) ऑक्सिडायजर संमिश्रण भंडारण टैंक:

(क) तापमान नियंत्रक

(5) पंप्स ट्रक:

(क) अंतिम उत्पाद पम्प में उच्च दाब, निम्न दाब ट्रिप स्विच ।

(ख) अंतिम उत्पाद पम्प के तापमान से जुड़ा सुरक्षा उपकरण ।

(ग) अंतिम उत्पाद पम्प में बर्स्टिंग डिस्क ।

(घ) वायु/जल फ्लशिंग प्रणाली - गैसिंग एजेंट इंजेक्शन पॉइंट के ठीक पहले इंजेक्शन पॉइंट।

(6) आवधिक रखरखाव :

(क) प्रचालन से पूर्व, सभी सुरक्षा उपकरणों की क्रियाशीलता की प्रतिदिन जाँच की जाएगी।

(ख) प्रतिमाह सभी सुरक्षा उपकरणों को खोलकर, उनकी सफाई कर, उन्हें फिर जोड़ा जाएगा।

(19) (1) इन नियमों के प्रकाशन के पश्चात, सभी नये साइट मिक्सड विस्फोटक संयंत्र/स्वीकृत साइलो, चारों ओर 45 मीटर बाहरी सुरक्षा दूरी का अनुपालन करेंगे।

(2) वाहनों के लिए स्वीकृत अधिकतम दूरी निम्नानुसार होगी:

(क) मैट्रिक्स के अंतरण हेतु, मूल संयंत्र से साइलो संयंत्र तक 1500 किमी (एकतरफा मार्ग)।

(ख) बीएमडी वाहनों हेतु, मूल संयंत्र/साइलो संयंत्र से खान तक, 250 किमी (एकतरफा मार्ग)

(3) नए साइलो स्थानों पर निम्नलिखित आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाएगा:

(क) एक साइलो की क्षमता 40 लाख टन से अधिक नहीं होगी।

(ख) एक साइट पर साइलों की अधिकतम संख्या तीन से अधिक नहीं होगी।

(ग) आसन्न साइलो के बीच न्यूनतम दूरी, 1.5 मीटर या 0.5 गुना स्यलो के व्यास जो भी अधिक हो, से कम नहीं होगी।

(47) मूल नियम की अनुसूची VII में,

(क) विनिर्देश 1 में, क्रम संख्या 1 में,-

(i) उप शीर्ष "ग. निर्माण", के मद संख्या (ग) में, दर्शाए गए, "खिड़कियां, संवातक", शब्दों के स्थान पर, "खिड़कियां और संवातक", शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उप शीर्ष "ग. विभागजन दीवारें", के आरंभिक पैरा में, "प्रक्रियाकृत", शब्द के स्थान पर, "प्रक्रिया", शब्द रखे जाएंगे;

(ख) विनिर्देश 2 में, क्रम संख्या 3 के उप-शीर्ष "ख. प्रकार" की मैगजीन में "सुवाह्य मैगजीन" शब्दों के पश्चात, "केवल अस्थायी प्रयोजन के लिए ही" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा,

(ग) विनिर्देश 3 में-

(अ) क्रम संख्या 1 में,-

(क) उप-शीर्ष 'ग: विस्फोट दीवार' में "विस्फोट सीमा 5 किलोग्राम होगी तथा अनुमोदित व्यक्ति संख्या 2 होगी" शब्द और अंक के पश्चात, "हवाई आतिशबाजी के लिए भरण/पेलेट लदान/शेल लदान भवन के मामलों विस्फोट दीवार की ऊंचाई 2.76 मीटर होगी और दोनों ओर खुले दरवाजे की चौड़ाई से 0.5 मीटर अधिक होगी। विस्फोट दीवार को 45 डिग्री के घुमावदार कोण में अंत की ओर 90 सेमी से बढ़ाया जाएगा। सभी दिशाओं से शेड और विस्फोट दीवार को कवर करने के लिए एक मजबूत पीतल या गैर संक्षारक धातु की

चिकन तार की जाली वाले छत की व्यवस्था की जाएगी। इस तरह के विस्फोट दीवार की शेड चारों ओर व्यवस्था की जाएगी।" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ख) उप-शीर्षक "घ. शुष्कन मंच" में,-

(I) दूसरे पैरा में "मंच की उंचाई 1 से 1.5 स्क्वेर मी. होगी" शब्दों और अक्षरों के पश्चात निम्नलिखित पंक्ति "लिफ्टिंग चार्जवाले रॉकेट या शेल के मामले में, सुखाने वाले चबूतरे के पूरे क्षेत्र को अर्धगोल 1 मिमी पीतल या गैर संक्षारक धातु की तार की जाली से आच्छादित किया जाएगा। ऐसी तार की जाली को उठने से रोकने के लिए उचित रूप से जमीन से अटकाई जानी चाहिए।" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा।

(II) पैरा 4 में "आड़/विस्फोट दीवार का विनिर्माण अनुसूची में संलग्न निदेशन-6 के अनुसार होगा" शब्दों के स्थान पर, "स्क्रीन दीवार सीमेंट और ईट से बनी 23 सेमी मोटी होनी चाहिए" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उप शीर्षक (ड) टर्निस्ट भवन और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित मदों और प्रविष्टियों को रखा जाएगा;

"(च) कच्चे माल का भंडारगृह:

(क) सल्फर भंडारण कक्ष एक अलग कक्ष होगा जिसके चारों ओर कम से कम 3 मीटर की दूरी रखी जाएगी।

(ख) अलूमिनियम भंडारण शेड एक अलग कक्ष होगा जिसके चारों ओर कम से कम 3 मीटर की सुरक्षा दूरी रहेगी। कमरे के प्रवेश द्वार पर एक बॉक्सनुमा उभरा हुआ भाग भी होगा (बाजू के प्राकार दीवार के साथ सनशेड)।

(ग) समर्पित चारकोल कक्ष तथा ऑक्सीडाइजर कक्ष जिसके चारों ओर कम से कम 3 मीटर की सुरक्षा दूरी रहेगी, उपलब्ध कराए जाएंगे;

(घ) क्रम संख्या 2 के अनुच्छेद 2 में,-

(क) "भंडारगृह", शब्द के स्थान पर "मैगजीन", शब्द को रखा जाएगा;

(ख) मद संख्या (ड) में, "भंडारगृह", शब्द के पश्चात "ईट या पत्थर मोर्टार, या कंक्रीट से बनी 34 सेंटीमीटर मोटी दीवारों की एकल मंजिला इमारत होगी और इसका" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ग) के बिन्दु क्रमांक (ज) के पश्चात निम्नलिखित बिन्दु जोड़ा जाएगा :

"(ज) मैगजीन का कार्पेट क्षेत्र, पेपर कैप्स या अमोर्सेस के, 16 वर्ग मीटर प्रति टन का होगा।"

(घ) मद संख्या (ज) में, "अमोर्सेस अथवा क्लोरेट अंतरविष्ट कलर माचिस इस भण्डारगृह में रखे जाएंगे", शब्दों के स्थान पर, "अमोर्सेस अथवा क्लोरेट अंतरविष्ट कलर माचिस इस मैगजीन में रखे जाएंगे" शब्दों को रखा जाएगा;

(48) मूल नियम में, अनुसूची VIII में, सारणी-6 के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रखी

जाएगी, अर्थात् :-

"सारणी-6

जातिशबाजी विनिर्माण कारखाने की विभिन्न-प्रक्रिया और भंडारण शेडों द्वारा पालन की जाने वाली सुरक्षा दूरी (मीटरों में)

से	किलोग्राम में विस्फोटकों के शेड की सीमा	मानव सीमा	मिश्रण करने/भरने वाले शेड तक	डुबाने वाले शेड तक	सुखाने वाले प्लेटप्ररूप तक	विनिर्माण शेड तक	फ्यूज रैपिंग शेड तक	अभिवहन शेड (आतिशबाजी) तक किलोग्राम में क्षमता			अभिवहन शेड (तत्काल पलीता- सलाई/माइक्रोकार्ड/ फ्यूज) किलोग्राम में क्षमता			अभिवहन शेड (पेलेट) किलोग्राम में क्षमता	कच्ची सामग्री शेड तक	आवासगृह, संरक्षित कार्य या बाहरी सुरक्षा दूरी तक
								300	400	500	100	150	200			
मिश्रण करने/भरने	5	2	18	18	18	18	18	30	34	37	21	24	26	18	45	45
डुबाने वाले शेड	5	2	18	12	18	12	12	30	34	37	21	24	26	18	45	45
सुखाने वाले प्लेटप्ररूप	25	2	18	12	12	12	12	30	34	37	21	24	26	18	45	45
सुखाने वाले प्लेटप्ररूप (पेलेट)	15	2	18	18	18	18	18	30	34	37	21	24	26	18	45	45
विनिर्माण शेड	25	4	18	12	12	12	12	30	34	37	21	24	26	18	45	45
फ्यूज रैपिंग शेड	10	2	18	12	12	12	12	30	34	37	21	24	26	18	45	45

अभिवहन	300	2	30	30	30	30	30	30	34	37	30	30	30	30	45	45
शेड	400	2	34	34	34	34	34	34	34	37	34	34	34	34	45	45
(आतिश-	500	2	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	45	45
अभिवहन	100	2	21	21	21	21	21	21	34	37	21	24	26	21	45	45
शेड (तत्काल																
दिया-सलाई/	150	2	24	24	24	24	24	24	34	37	24	26	28	24	45	45
माइक्रोकाई /																
फ्यूज)	200	2	26	26	26	26	26	34	34	34	26	28	30	26	45	45
अभिवहन	50	2	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	45	45
शेड (पेलेट)																
कच्ची सामग्री	X		45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	X	X
का शेड																

टिप्पण –

1. अर्धनिर्मित आतिशबाजी के लिए अभिवहन भवन में 2.5 मीटर x 2.0 मीटर आकार के दो कक्ष होंगे, जिनमें पहिए, फ्लॉवरपाउड्स, आदि जैसे गैर विस्फोटक सामग्री के भण्डारण के लिए एक कक्ष तथा पटाखें, एटम बम्ब आदि विस्फोटक सामग्री के भण्डारण के लिए दूसरा कक्ष होगा।
 2. पारंपरिक आतिशबाजी और हवाई आतिशबाजी आइटम के विनिर्माण के लिए पृथक अनुज्ञप्तियां प्रदान की जाएगी।
 3. दो आतिशबाजी कारखानों के बाहरी बाड के बीच की दूरी कम से कम 200 मीटर होगी
- * विद्यमान या पहले से ही मंजूरी प्राप्त और निर्माण के अधीन आतिशबाजी कारखानों को इन नियमों के प्रकाशन से पहले यह लागू नहीं होगा।

[फा. सं. 2/9/2013-Expl.]

शैलेन्द्र सिंह, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, अधिसूचना सं. सा.का.नि. 907(अ), तारीख 29 दिसम्बर, 2008 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 65(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2011 और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 772(अ) दिनांक 11 दिसंबर, 2013 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th January, 2019

G.S.R.17(E).—Whereas the draft rules were published to amend the Explosives Rules, 2008, as required by sub-section (1) of section 18 of Explosives Act, 1884 (4 of 1884) vide notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) number G.S.R. 1440(E), dated the 20th day of November, 2017 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And, whereas, copies of the said Gazette were made available to the public on 20th day of November, 2017;

And, whereas, objections and suggestions were received from the public on the said draft rules, have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sections 5 and 7 of the Explosives act, 1884 (4 of 1884), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Explosives Rules, 2008, namely:-

1. (1) These rules may be called the Explosives (Amendment) Rules, 2019.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Explosives Rules, 2008 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 2,-
 - (a) in clause (4), the words “or site mixed explosive (SME) ”, shall be omitted;
 - (b) in clause (24), for the words “rockets, shells, percussion caps”, the words “ such as quick match and micro cord” shall be substituted ;
 - (c) after clause (24), the following clause shall be inserted, namely:-
'(24A) “aerial fireworks” means low hazard explosives, which moves by its own propulsion or shots into the sky through a mortar consisting of paper tube or casing filled with combustible material to deliver sound and pyrotechnic effect and includes shells and rockets;'
 - (d) after clause (25), the following clause shall be inserted, namely:-
'(25A) "Fireworks Research and Development Centre” means the Fireworks Research and Development Centre of the Petroleum and Explosives Safety Organisation;'
 - (e) in clause (37),-
 - (i) after sub-clause (d), the following sub-clause shall be inserted, namely:-
"(e) a Government organisation or a Central or State public sector undertaking any officer nominated in writing by that organisation or undertaking,";
 - (ii) in the long line, the words "deemed to be" shall be omitted;
 - (f) in clause (39), for the word “Celcius” , the word “celsius” shall be substituted;
 - (g) in clause (55) the words “or safety fuse not exceeding 50000 meters” shall be omitted.
3. In the principal rules, in rule 3, in sub-rule (2), in clause (b) for the word “cuting”, the word “acting” shall be substituted.
4. In the principal rules, in rule 4, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted;
"(1) For the purposes of these rules, the explosives shall be classified in the manner specified in Schedule I annexed to these rules."
5. In the principal rules, in rule 6,-
 - (a) in sub-rule (1),-
 - (i) for the words “by the Central Government in the Official Gazette”, the words “in the official website of the Petroleum and Explosives Safety Organisation:” shall be substituted;
 - (ii) in the proviso, after the words “apply to the”, the words “manufacture of explosives for armed forces of the Union and Ordnance factories or other establishments of Ministry of Defence or” shall be inserted;
 - (b) in sub-rules (4), after the words “Departmental Testing Station”, the words “or Fireworks Research and Development Centre” shall be inserted;
 - (c) in sub-rule (12), after the words “Departmental Testing Station”, the words “or Fireworks Research and Development Centre” shall be inserted;
 - (d) in sub-rule (13), for the word and figure “rule 3”, the words and figures, “sub-rule (3)” shall be substituted;

- (e) in sub-rule (15), in clause (i), sub-clause (d) shall be omitted;
 - (f) in sub-rule (17),-
 - (i) in clause (vii), for the words “Central Mining Research Institute”, the words “Central Institute of Mining and Fuel Research” shall be substituted;
 - (ii) after clause (viii), the following clause shall be inserted, namely:-

“(ix) The Chief Controller may exempt the field trials for the explosives manufactured for armed forces of the Union and Ordnance factories or other establishments of Ministry of Defence subject to the concurrence and clearance from the Defence Organisations.”.
6. In the principal rules, in rule 10,-
- (a) in sub-rule (1), after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:-

“(c) The buildings to be used for manufacture of explosives shall comply with the specifications laid down in Schedule VII annexed to these rules:

Provided that the buildings for manufacture of explosives for armed forces of the Union and Ordnance factories or other establishments of Ministry of Defence shall be constructed as per Storage and Transport of Explosives Committee Pamphlet 3.”;
 - (b) in sub-rule (2), in clause (c), in sub-clause (v), for the letters and figures “AE-7”, the letters and figures “AE-8” shall be substituted;
 - (c) in sub-rule (5),-
 - (i) after the words “sunset and sunrise”, the words “unless otherwise specifically permitted by the licensing authority.” shall be inserted;
 - (ii) proviso shall be omitted;
 - (d) after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(6A) “Every licensed premises under these rules shall prominently display a “No Smoking” board in local language and in English along with display of “No Smoking” signage.”;
 - (e) in sub-rule (7),-
 - (i) in clause (c), for the words “is of mentally”, the words “is mentally” shall be substituted;
 - (ii) in the long line, for the words “sale, loading”, the words “sale, use, loading,” shall be inserted;
 - (f) after sub-rule (8), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that nothing in this sub-rule shall be applicable to ingredients used for manufacture of explosives.”.
7. In the principal rules, in rule 11, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(5) No person shall be appointed as a Foreman if he has not passed tenth class and has less than five years experience in the field of manufacture of fireworks or safety fuse.”.
8. In the principal rules, in rule 12, in sub-rule (1), after the word “specification”, the letters, figures and words “IS: 2309 as amended from time to time” shall be inserted.
9. In the principal rules, in rule 14, in sub-rule (1), in clause (d), for the word “Authority”, the word “Association” shall be substituted.
10. In the principal rules, in rule 15, in sub-rule (1), in clause (i),-
- (a) for sub-clause (f), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

“(f) unique identification number of the package (in the format as advised by the Chief Controller) in the form of barcode and human readable characters marked on two sides of the package;”;

(b) after sub-clause (l), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

"(m) a description that not to store explosives below minus 10 degree celsius and above 60 degree celsius." ;

(c) for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided that in case of fireworks or safety fuse, sub-clause (a) and (l) shall not be applicable and the words "Fireworks "or "Safety Fuse", as the case may be, shall be marked on the outer package:

Provided further that sub-clause (f) shall not be applicable for fireworks.'.

(d) in sub-rule (2), after the sub-clause (f), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

"(g) unique identification number of the package (in the format as advised by the Chief Controller) in the form of barcode and human readable characters marked on the outer package with effect from the date as specified by the Chief Controller.";

(e) for sub-rule (3) the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(3) *Markings on explosives of Class 6.*- In the case of explosives of Class 6 Divisions 1, 2 and 3 markings shall be made as under, with effect from such date as the Chief Controller may specify:-

(a) Class 6 Division 1(for Safety Fuse): Each coil shall bear unique identification number (in the format advised by the Chief Controller) on the outer package in the form of barcode and human readable characters marked;

(b) Class 6 Division 2 (for Detonating Cord): Each Spool shall bear unique identification number (in the format as advised by the Chief Controller) in the form of barcode and human readable characters marked on both sides of spool and on every meter of the detonating cord;

(c) Class 6 Division 3 (for Detonators): (i) the name of manufacturer in full or abbreviated form shall be printed or embossed legibly on each piece of detonator and if abbreviated form is used, it shall be registered with the Chief Controller;

(ii) each inner package containing 100 plain detonators or each bunch of electric detonators shall bear a unique identification number (in the format as advised by the Chief Controller) in the form of barcode and human readable characters;

(iii) in case of Non Electric Detonators or delay detonators, each piece of such detonator shall bear the same markings as on the box.";

(f) in sub-rule (4), after the words "manufacturer's name," the words "flammable, explodes, emits shower of sparks or shoots flaming balls," shall be inserted;

(g) after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"4(A). The batch number and date of manufacturing of fireworks shall be printed on each package of fireworks."

11. In the principal rules, in rule 20, in sub-rule (1), after the words "licensed factory", the words "including fireworks manufacturing factory" shall be inserted;

12. In the principal rules, in rule 21, in sub rule (3), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that factory for manufacture of explosives for armed forces of the Union and Ordnance factories or other establishments of the Ministry of Defence shall adhere to the provisions relating to security as mentioned in Defence Security Manual of Department of Defence Production, Ministry of Defence."

13. In the principal rules, in rule 22, in sub-rule (2), after the words "equipment shall be", the words, letters and figures "conforming to IEC, IS/IEC 60079 or IS/IEC 61241 and IS/IEC 60529 codes or" shall be inserted;

14. In the principal rules, in rule 24,-

(a) after sub-rule (1) the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(1A) The explosives manufacturers shall enter the particulars of kind and quantity of explosives manufactured daily in the online system made available by the licensing authority.”;

(b) for sub-rule (3) the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(3) The licensee shall submit monthly returns of explosives (other than fireworks) received, sold or transferred or used or destroyed to the Controller as well as District Magistrate in Form prescribed in Part 5 of Schedule V annexed to the rules so as to reach the above authorities within tenth day of every succeeding month and licensee shall also submit monthly return in the online system made available by the licensing authority within tenth day of the succeeding month.”;

(c) in sub-rule (4), for the word “quarterly”, the word “monthly” shall be substituted;

(d) after sub-rule (4), the following sub-rules shall be inserted, namely:-

“(5) A person or a firm or a company holding a licence to manufacture or possession for sale or use of explosives shall make necessary arrangement for generating, printing barcodes on packages and cartridges of explosives and suitable scanners to read barcodes and shall also develop necessary information technology set up as advised by the licensing authority.

(6) The licensees holding licences to possess for sale or use of explosives shall make necessary arrangement to procure suitable scanners to read barcodes, and shall also develop necessary information technology set up within such time as may be specified by the Chief Controller.”.

15. In the principal rules, in rule 26,-

(a) in sub-rule (2), in clause (g), after the words "blasting accessories", the words "or fireworks" shall be inserted;

(b) in sub-rule (3), in clause (e), after the words "testing of", the words "on-site" shall be inserted;

(c) after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(7) The licensed premises or manufacturing facilities shall not be leased to any other person, or company or firm or society for possession or manufacture of explosives or fireworks.”.

16. In the principal rules, in rule 28, in the proviso, after the words "temporarily permit", the words "for a period not exceeding six months," shall be inserted;

17. In the principal rules, in rule 29, for the word “resent”, the word “present” shall be substituted.

18. In the principal rules, for the rule 43, the following rule shall be substituted, namely:-

"43. Import or export by land.- (1) No licence for import of explosives by land shall be granted without the previous sanction of the Central Government in each case, wherein the Central Government may impose conditions and restrictions in consultation with the Chief Controller.

(2) No licence for export of explosives by land shall be granted without the No Objection Certificate issued by the Indian Mission and the Government of importing country."

19. In the principal rules, in rule 45,-

(a) in sub-rule (3),-

- (i) in clause (a) for the words “all such explosives intended to land at the port and are required under these rules to be tested, analysed or examined”, the words “necessary explosives as he deems necessary to be tested, analysed or examined under these rules” shall be substituted;
 - (ii) for clause (b), following clause shall be substituted;

“(b) The master or the agent, as the case may be, shall deliver to the officer referred to in clause (a), without charges, samples of all the explosives of which samples are required to be taken. The samples, if the sampling officer so desires, shall be taken from particular package indicated by him.”;
 - (b) in sub-rule (5),-
 - (i) in clause (a), for the words “ a test certificate in CE-1”, the words “or an analysis or examination report or test certificate in CE-1 in the case of a Nitro-compound or a Chlorate mixture, as the case may be” shall be substituted;
 - (ii) in clause (b), the words “each of the certificate in CE-1” shall be omitted;
 - (c) in sub-rule (6), for clauses (a) and (b), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

“(a) No imported explosives shall be permitted to be landed by the Commissioner of Customs except with the licence for import of such explosive under these rules and after making such other enquiries as considered necessary.”;
 - (d) in sub-rule (7), after clause (e), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

“(f) No person shall be granted a licence to import explosives, unless he is holding valid licensed premises for possession of the class and quantity of explosives intended to be imported.”.
20. In the principal rules, in rule 46, in sub-rule (2),-
- (a) in clause (a) for the word “Authority”, the word “Association” shall be substituted;
 - (b) after the sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(3) No person shall be granted a licence to export explosives, unless he is holding valid licensed premises for possession and sale of the class and quantity of explosives intended to be exported.”.
21. In the principal rules, in rule 48,-
- (a) in sub-rules (1), after the words "testing officer", the words “or Controller of Explosives” shall be inserted;
 - (b) in sub-rules (2), after the words "testing officer", the words “or Controller of Explosives” shall be inserted.
22. In the principal rules, in rule 51, in sub-rule (5), for the word “Authority”, the word “Association” shall be substituted.
23. In the principal rules, in rule 61, -
- (a) in the marginal heading after the words "tractor", the words “or a freight container mounted on fixed chassis motor truck or goose neck type semi trailer vehicle” shall be inserted;
 - (b) in sub-rule (1), after the words "any explosives in a road van", the words “or freight container mounted on fixed chassis motor truck or goose neck type semi trailer vehicle” shall be inserted;
 - (c) in sub-rule (2), after the words "road van", the words “or freight container mounted on fixed chassis motor truck or goose neck type semi trailer vehicle, as the case may be” shall be inserted;
 - (d) after the sub-rule (3), the following sub-rules shall be inserted, namely:-

“(4) The licence for conveyance of explosives by road in a freight container mounted on a fixed chassis motor truck or goose neck type semi trailer vehicle shall be given only when -

 - (a) the explosives are received from foreign countries in freight containers;

(b) the explosives are exported to other countries in freight containers;

(c) in an emergency with prior permission of Chief Controller.

(5) The freight container shall be conforming to International Maritime Dangerous Goods code.

(6) The maximum weight of explosives that can be carried in a freight container mounted on a fixed chassis motor truck or on a goose neck type semi trailer vehicle shall not exceed 20 MT or the maximum carrying capacity of the vehicle as permitted by Road Transport Authority, whichever is less. ”.

24. In the principal rules, in rule 67, after sub-rule (11), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(12) Road Vans used for transportation of explosives shall be equipped with necessary devices of Global Positioning System for tracking purpose with effect from such date as the Chief Controller may specify.”.

25. In the principal rules, in rule 72, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(1) Sale of explosives in original packages.—The explosive shall be sold in original packages or in smallest package bearing unique identification markings and under no circumstances, explosives shall be sold in quantity less than smallest package.

(1A) The markings on each package shall be as per rule 15.”.

26. In the principal rules, in rule 77, in sub-rule (2), after clause (e) the following clauses shall be inserted, namely:-

“(f) A consignee holding a valid licence issued by the Chief Controller or Controller of Explosives shall submit online indent in Form RE-11 under Part 5 of Schedule V annexed to these rules to the consignor;

(g) The consignor on receipt of online indent in Form RE-11 and after due verifications shall supply the kinds and quantities of explosives not exceeding the indented quantity to the consignee after issuing on line pass in Form RE-12 under Part 5 of Schedule V annexed to these rules;

(h) The consignee on receipt of consignment of explosives shall enter kinds and quantities of explosives received by him immediately through the online system in Form RE-3 under Part 5 of Schedule V annexed to these rules;

(i) A person holding a licence for possession and use of explosives granted by the Chief Controller or Controller of Explosives shall issue explosives to the shot firers or blasters only after issuing on line pass for end-use of explosives in Form RE-13 under Part 5 of Schedule V annexed to these rules.”.

27. In the principal rules, in rule 81, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that buildings for storage of explosives for armed forces of the Union and Ordnance factories or other establishments of Ministry of Defence shall be constructed as per Storage and Transport of Explosives Committee pamphlet No. 3."

28. In the principal rules, in rule 82,-

(a) in sub-rule (1), the words “or safety fuse not exceeding fifty thousand meters” shall be omitted;

(b) in sub-rule (2), the words “or safety fuse” shall be omitted;

29. In the principal rules, in rule 83,-

(a) in sub rule (1), for the words “gun powder, small arms nitro-compound and safety fuse”, the words “gun powder and small arm nitro-compound” shall be substituted;

(b) in sub-rule (4), in clause (c), for the word “floor”, the word “floors” shall be substituted;

30. In the principal rules, in rule 84, after sub-rule (6), the following sub-rules shall be inserted, namely:-

“(7) First aid, ambulance and minimum two fire-tenders shall be available for such cluster of fireworks shops.

(8) A warning board displaying words, 'Explosive and Dangerous Goods' shall be provided in local language at conspicuous places.”.

31. In the principal rules, in rule 86, in sub-rule (2), the words “or safety fuse” shall be omitted.

32. In the principal rules, in rule 87,-

(a) the words “or safety fuse” shall be omitted;

(b) in the proviso, the words “or safety fuse” shall be omitted.

33. In the principal rules, in rule 90, in sub-rule (4), after the words “same was taken”, the words “and entries of kind and quantities of explosives returned shall be made in the online system made available by the licensing authority,” shall be inserted.

34. In the principal rules, in rule 101, after sub-rule (4), the following sub-rules shall be inserted, namely:-

“(5) No approval shall be granted for possession for use of explosives to a person or firm or society or company who is holding a licence for possession and sale of explosives or vice versa.

(6) Nothing in the sub-rule (5) shall be applicable to magazines for possession for use and possession for sale located and attached to the explosives manufacturing factories.”.

35. In the principal rules, in rule 107, in sub-rule (6), for the words “adequate knowledge and experience in related field of handling and blasting explosives”, the words “ five years experience in the field of manufacture of fireworks and or safety fuse and has passed class ten examination.” shall be substituted.

36. In the principal rules, in rule 108, in sub-rule (2),-

(a) in clause (c), the words “or a succession certificate from a competent court in case of death of licensee being an individual” shall be omitted;

(b) in clause (e), the words “regarding transfer of rights of the premises” shall be omitted;

(c) in clause (i), in the proviso, after the words “been granted”, the words “in the same district” shall be inserted.

37. In the principal rules, in rule 112, in sub-rule (10),-

(a) for the word “three” at both the places where they occur, the word “six” shall be substituted;

(b) for the word “revalidation”, the word “renewal” shall be substituted.

38. In the principal rules, in rule 113, in the Table,-

(a) against serial no 1, in column (6), after item (vii), the following item shall be inserted, namely:-

“(viii) Copies of documents in support of rightful possession of the premises.”;

(b) against serial no 2, in column (6), after item (ix), the following item shall be inserted, namely:-

“(x) Copies of documents in support of rightful possession of the premises.”;

(c) against serial no 3, in column (6), after item (ix), the following item shall be inserted, namely:-

“(x) Copies of documents in support of rightful possession of the premises.”;

(d) against serial no 4,-

(i) in column (6),-

(A) item (vii) shall be omitted;

(B) after item (viii), the following item shall be inserted, namely:-

“(ix) Copies of documents in support of rightful possession of the premises.”;

(e) against serial no 5,-

(i) in column (6), after item (viii), the following item shall be inserted, namely:-

“(ix) Copies of documents in support of rightful possession of the premises.”;

- (f) against serial no 6,-
- (i) in column (6), after item (viii), the following item shall be inserted, namely:-
“(ix) Copies of documents in support of rightful possession of the premises.”;
- (g) against serial no 7,-
- (i) in column (6), after item (x), the following item shall be inserted, namely:-
“(xi) Copies of documents in support of rightful possession of the premises.”;
- (h) against serial no 9,-
- (i) in column (2), for the figures and word “25 kilogrammes” the figures and word “50 kilogrammes” shall be substituted;
 - (ii) in column (6), after item (v), the following item shall be inserted, namely:-
“(vi) Copies of documents in support of rightful possession of the premises.”;
- (i) against serial no 10, in column (6), after item (vi), the following item shall be inserted, namely:-
“(vii) Copies of documents in support of rightful possession of the premises.”;
- (j) against serial no 11, in column (6), after item (vii), the following item shall be inserted, namely:-
“(viii) Copies of documents in support of rightful possession of the premises.”;
- (k) against serial no 12,-
- (i) in column (2), the words “or safety fuse not exceeding 50000 meters” shall be omitted;
 - (ii) in column (6), after item (vi), the following item shall be inserted, namely:-
“(vii) Copies of documents in support of rightful possession of the premises.”;
- (l) against serial no 14, in column (6), after item (iv), the following item shall be inserted, namely:-
“(v) Copies of documents in support of rightful possession of the premises.”;
- (m) against serial no 15,-
- (i) in column (2), for the word "Chinese", the word "Chorsa" shall be substituted;
 - (ii) in column (6), after item (iv), the following item shall be inserted, namely:-
“(v) Copies of documents in support of rightful possession of the premises.”;
- (n) against serial No 16, in column (6), after item (iv), the following item shall be inserted, namely:-
“(v) Copies of documents in support of rightful possession of the premises.”;
- (o) against serial no 19,-
- (i) in column (2), for the word “Chinese”, the word “Chorsa” shall be substituted;
 - (ii) in column (6),-
 - (A) item (iv) shall be omitted;
 - (B) after item (v), the following item shall be inserted, namely:-
“(vi) Copies of documents in support of rightful possession of the premises.”;
- (p) against serial no 21, in column (2), after the words “road van”, the words “or freight container mounted on a fixed chassis motor truck or goose neck type semi trailer vehicle” shall be inserted;
- (q) against serial no 22, in column (2), the words “otherwise than by land” shall be omitted;
- (r) against serial no 23, in column (6), after item (vii), the following item shall be inserted, namely:-
“(viii) Copies of documents in support of rightful possession of the premises.”.

39. In the principal rules, in rule 115, in sub-rule (1), in clause (b), after the words “criminal offence”, the words “involving violence or moral turpitude for a term of not less than six months at any time during a period of five years after the expiration of the sentence” shall be inserted.

40. In the principal rules, in rule 118, in sub-rule (1), clause (I),-

(a) in sub-clause (b), after the words “criminal offences”, the words “involving violence or moral turpitude for a term of not less than six months at any time during a period of five years after the expiration of the sentence” shall be inserted;

(b) after the sub-clause (b), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

“(c) the licenced premises or manufacturing facilities are leased to any other person, firm, company, society.”.

41. In the principal rules, in rule 124, for the words “or an authenticated copy granted thereof, is lost or accidentally destroyed, a duplicate may be granted”, the words “is lost or accidentally destroyed, a duplicate copy may be issued” shall be substituted.

42. In the principal rules, in rule 131, in sub-rule (1), for the words “twenty four hours of the happening of the accident by telephone, telegram”, the words “twelve hours of the happening of the accident by telephone” shall be substituted.

43. In the principal rules, in Schedule I, in Part-I relating to 'CLASSIFICATION OF EXPLOSIVES',-

(a) in Class 2- Nitrate Mixture Class, for the words “as per chlorate”, the words “a perchlorate” shall be substituted;

(b) in Class 3- Nitro-Compound Class, in serial number (2), after the word “class”, the word “has” shall be inserted;

(c) in Class 7 – Fireworks Class,-

(i) for serial number (5) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted,

“(5) Sub-division 1 of Division 2 fireworks comprises fireworks which, in the opinion of Chief Controller are relatively innocuous in themselves and are not liable to explode violently or all at once, e.g., sparklers [Chorsa crackers, serpents, etc.]”;

(ii) in serial number (6), the words, “high hazard” shall be omitted.

44. In the principal rules, in Schedule II, in Part-I relating to 'METHODS OF PACKING OF EXPLOSIVES FOR INLAND TRANSPORT',-

(a) after serial number (3), the following serial numbers shall be inserted, namely:-

“(4) (a) The outer package shall be used only once for packing and transport of Explosives;

(b) When the explosives contained in outer package are removed there from, the outer package shall be destroyed;” ;

(b) in the TABLE,-

(i) against serial No. 23, in column (4), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

“25 Kilogrammes”.

45. In the principal rules, in Schedule IV, in Part-1 relating to 'LICENCES AND LICENSING AUTHORITIES', -

(a) against Article No 3, in column (2),-

(i) in item (a), for the figure “25”, the figure “50” shall be substituted;

- (ii) in item (d), the words, “or safety fuse not exceeding 50000 meters” shall be omitted;
- (b) against Article No 5, in column (2),-
- (i) in item (b), for the word "chinese", the word, "Chorsa" shall be substituted;
- (ii) in item (f), for the word “chinese”, the word, “Chorsa” shall be substituted;
- (c) against Article No 7, in column (2), after the words, “road van” the words, “or freight container mounted on a fixed chassis motor truck or goose neck type semi trailer vehicle shall be inserted;
- (d) in Article No 8, in column (2), the words “otherwise than by land” shall be omitted.
46. In the principal rules, in SCHEDULE V,-
- (a) in PART-1, in APPLICATION FORMS,-
- (i) for "FORM AE-1 to FORM AE-11 ", the following FORMS shall be substituted, namely:-

"FORM AE-1

(See rule 113 of the Explosives Rules, 2008)

APPLICATION FOR APPROVAL OR RANT OR AMENDMENT OR TRANSFER OF LICENCE FOR MANUFACTURE OF EXPLOSIVES

Please affix a
recent passport
size colour
photograph of
occupier with
signature in front

Purpose (Please tick): Approval ☐ Grant ☐ Amendment ☐ Transfer ☐

1. Type of applicant: Individual ☐ Company ☐ Partnership Firm ☐ Society ☐
Proprietary Firm ☐

2. Applicant's detail:

(a) Name in which licence is sought (see note below)-----

(b) AADHAR No./CIN No./Firm registration No.-----

(c) Age in case of individual-----

(d) Postal address-----

City-----District-----State-----PIN Code-----

Phone No. with STD code -----Mobile No.-----E-mail-----

3. Address of the proposed premises:

Survey/Gat No./Khasra No.----- Town/Village-----

Mandal/Taluk/Tehsil----- Railway Station-----

Police Station----- District-----

State-----PIN Code-----

4. Qualification and experience of applicant and technical personnel employed by him.

(Give individual's details and attach separate sheet if required)

5. Details of Industrial licence with approved annual capacity of various products (attach copy):-----

6. Details of explosives to be manufactured:

Proposed Product (Name of explosives)	Class & Div.	UN classification & No.	Proposed per day production in MT/M.Nos/M. Meters)	Proposed annual production (in MT/M.Nos/M. Meters)	Annual capacity as per Industrial Licence (in MT/M.Nos/M. Meters)

7. (a) Details of BMD Vehicles approved (in case of SME plant)

S. No.	Registration No.	Approval No.	Engine No.	Chassis No.	Production capacity (MT)

8. Details of amendment proposed or additional information-----

9. (a) Particulars of the other licences under Explosives Act, 1884, if any held by the applicant during the last 10 years.-----

(b) Was any licence cancelled or not renewed? Yes ☐ NO ☐

If yes, give details-----

10. (a) Has the applicant been convicted under any offence or ordered to execute bond under

Chapter VIII of Code of Criminal Procedure, 1973, during the last 10 years? Yes ☐ NO ☐

(b) If yes, give details-----

11. List of documents attached:

I hereby certify that the above particulars given by me are correct.

Date: -----

Signature of applicant in the box above

Place: -----

Full name -----

(Authorised person in case of company)

Notes: Please see the rules for the purpose and documents to be attached.

(1) In case where application is made by a person other than individual, the name and address of the occupier as per rule 2 and Directors or partners or members, as the case may be and specimen signatures of authorised person to be attached.

(2) Six copies of the passport size signed colour photographs of the occupier to be attached.

(3) Any change in the above information should be immediately communicated to the licensing authority and authority renewing the licence.

Statutory Warning: Mishandling and misuse of explosives shall constitute serious criminal offence under the law.

FORM AE-2

(See rule 113 of the Explosives Rules, 2008)

APPLICATION FOR APPROVAL OR GRANT OR AMENDMENT OR TRANSFER OF LICENCE TO POSSESS GUNPOWDER NOT EXCEEDING 15 KILOGRAMMES AT ANY ONETIME FOR MANUFACTURE OF ADIRVERTTUS NOT EXCEEDING 200 NUMBERS AT ANY ONE

Please affix a recent passport size colour photograph of occupier with signature in front

Purpose (Please tick): Approval ☐ Grant ☐ Amendment ☐ Transfer ☐

1. Type of applicant: Individual ☐ Company ☐ Partnership Firm ☐ Society ☐ Proprietary Firm ☐

2. Applicant's details:

(a) Name in which licence is sought (see note below)-----

(b) AADHAR No./CIN No./Firm registration No.-----

(c) Age in case of individual-----

(d) Postal address-----

City-----District-----State-----PIN Code-----

Phone No. with STD code -----Mobile No.-----E-mail-----

3. Address of the proposed premises:

Survey/Gat No./Khasra No.----- Town/Village-----

Mandal/Taluk/Tehsil----- Railway Station-----

Police Station----- District-----

State-----PIN Code-----

4. Qualification and experience of applicant and technical personnel employed by him.

(Give individual's details and attach separate sheet if required)

5. (a) Quantity of Gunpowder proposed to be possessed any one time:-----

(b) Quantity of Adirverttus proposed to be manufactured and possessed at any one time:--

6. List of documents attached:

I hereby certify that the above particulars given by me are correct.

Date: -----

Signature of applicant in the box above

Place: -----

Full name -----

(Authorised person in case of company)

Notes: Please see the rules for the purpose and documents to be attached.

- (1) In case where application is made by a person other than individual, the name and address of the occupier as per rule 2 and Directors or partners or members, as the case may be and specimen signatures of authorised person to be attached.
- (2) Six copies of the passport size signed colour photographs of the occupier to be attached.
- (3) Any change in the above information should be immediately communicated to the licensing authority and authority renewing the licence.

Statutory Warning : Mishandling and misuse of explosives shall constitute serious criminal offence under the law.

FORM AE-3

(See rule 113 of the Explosives Rules, 2008)

APPLICATION FOR APPROVAL OR GRANT OR AMENDMENT OR TRANSFER OF LICENCE FOR POSSESSION AND SALE OR POSSESSION AND USE OF EXPLOSIVES IN A MAGAZINE OR FOR POSSESSION OF FIREWORKS IN A STORE HOUSE

Please affix a recent passport size colour photograph of occupier with signature in front

Purpose (Please tick): Approval ☐ Grant ☐ Amendment ☐ Transfer ☐

1. Type of applicant: Individual ☐ Company ☐ Partnership Firm ☐ Society ☐ Proprietary Firm ☐

2. Applicant's detail:

- (a) Name in which licence is sought (see note below)-----
- (b) AADHAR No./CIN No./Firm registration No-----
- (c) Age in case of individual-----
- (d) Postal address-----
-
- City-----District-----State-----PIN Code-----
- Phone No with STD code -----Mobile No.-----E-mail-----

3. Address of the proposed premises:

Survey/Gat No./Khasra No.----- Town/Village-----

Mandal/Taluk/Tehsil----- Railway Station-----

Police Station----- District-----

State-----PIN Code-----

4. Qualification and experience of applicant and technical personnel employed by him.

(Give individual's details and attach separate sheet if required)

5. Quantity of explosives proposed to be possessed and sold:

Sr. No.	Description of explosives	Class & Div.	Proposed quantity to be possessed (in Kg/Nos/Meters)	
			At any one time	In a month

6. (a) Fireworks proposed to be possessed and transferred (in case of possession of fireworks in a store house):

Sr. No.	Description of Fireworks	Class & Div.	Proposed quantity (not more than 5000 kg) to be possessed (in Kg)	
			At any one time	In a month

(b) Particulars such as licence no and its validity of licenced Fireworks shops owned by the applicant to which Fireworks proposed to be transferred:

(i)-----

(ii)-----

(iii)-----

7. Quantity of explosives to be possessed and used:

Sr. No.	Description of explosives	Class & Div.	Proposed quantity to be possessed (in Kg/Nos/Meters)		
			At any one time	To be used per day	To be used in a month

8. Are the premises attached to the explosives manufacturing factory licenced to manufacture explosives: Yes ☐ NO ☐

9. Details of the site where explosives to be used (if require please attached separate sheet):-----

10. Whether the site(s) is coming under Mines Act, 1952:-----

11. Proposed blasting schedule (please tick): (1) Sunrise to sunset ☐ (2) Round the clock ☐

If yes, (a) Details of DGMS approved blaster; Name of blaster employed:-----

(b) Certificate no and its validity (copy to be attached):-----

if not, (a) Particulars of proposed activity-----

(Documentary evidence such as work orders/quarry lease to be attached)

(b) Name of shot firer-----

(c) Certificate no and its validity-----

12. Distance of the site from magazine where explosives to be used:-----

13. Mode of transport: By road van ☐ Other means (please specify) ☐

14. Licence particulars of road van:-----

15.(a) Particulars of the other licences under Explosives Act, 1884, if any held by the

applicant during the last 10 years.-----

(b) Was any licence cancelled or not renewed? Yes ☐ NO ☐

If yes give details-----

16. (a) Has the applicant been convicted under any offence or ordered to execute bond under

Chapter VIII of Code of Criminal Procedure, 1973, during the last 10 years? Yes ☐ NO ☐

(b) If yes, give details-----

17. List of documents attached:

I hereby certify that the above particulars given by me are correct.

Date: -----

Signature of the applicant in the box above

Place: -----

Full name -----

(Authorised person in case of company)

Notes: Please see the rules for the purpose and documents to be attached.

(1) In case where application is made by a person other than individual, the name and address of the occupier as per rule 2 and Directors or partners or members, as the case may be and specimen signatures of authorised person to be attached.

(2) Six copies of the passport size signed colour photographs of the occupier to be attached.

(3) Any change in the above information should be immediately communicated to the licensing authority and authority renewing the licence.

Statutory Warning : Mishandling and misuse of explosives shall constitute serious criminal offence under the law.

FORM AE-4

(See rule 113 of the Explosives Rules, 2008)

APPLICATION FOR APPROVAL OR GRANT OR AMENDMENT OR TRANSFER OF LICENCE FOR A COMPRESSOR MOUNTED MOTOR TRUCK OR TRACTOR FOR USE IN WELL SINKING

Purpose (Please tick): Approval ☐ Grant ☐ Amendment ☐ Transfer ☐

1. Applicant's details:

(a) Name in which licence is required to be granted (see note below)-----

Recent
passport size
Colour
photograph
of occupier
with signature
in front

(b) Status (Please tick): Individual ☐ Proprietorship ☐ Partnership firm ☐ Society ☐
Company ☐

(c) Age (in case of individual)-----Adhaar No.-----

(d) Postal address:-----

City-----District-----State-----PIN Code-----

(e) Phone no with STD code-----Mobile No.-----E-mail-----

2. Qualification and Experience of applicant:

(a) Qualification of applicant-----

(b) Number of years of experience in handling and blasting of explosives-----

(c) Licence no shot firer employed-----

3. (a) Address of premises where compressor mounted motor truck or tractor is to be normally

parked when not in use-----

(b) Particulars of the area where the compressor mounted motor truck or tractor is to be used
for well sinking purpose-----

4. Explosives to be possessed and transported

Class & name of explosives	Quantity applied for (kg/nos./meters)	Maximum quantity permitted (kg/nos./meters)
Class 2 and/or 3 explosives		25 kg
Class 6(1) Safety Fuse		200 meters
Class 6(2) Detonating Fuse		100 meters
Class 6(3) Detonators		200 numbers

5. Description of compressor mounted motor truck or tractor:

(a) Make & Model----- (b) Registration No.-----

(c) Engine No.----- (d) Chassis No.-----

(e) Name of registered owner of the vehicle:-----

(f) Details of explosives boxes: Name of fabricator----- Approval No.-----

6. (a) Has the applicant held other licences under Explosives Act, 1884 in the last 10 years? (Y/N)

(b) Has any licence held by applicant been cancelled or not renewed in the last 10 years? (Y/N)

(c) Has the applicant been convicted under any offence or ordered to execute bond under

Chapter VIII of Code of Criminal Procedure, 1973, during the last 10 years. Yes ☐ NO ☐

If answer is yes to any of the question above, give details-----

7. List of documents attached:

I hereby certify that the above particulars given by me are correct.

Date: -----

Signature of applicant in the box above

Place: -----

Full name -----

(Authorised person in case of company)

Notes: Please see the rules for the purpose and documents to be attached.

- (1) In case where application is made by a person other than individual, the name and address of the occupier as per rule 2 and Directors or partners or members, as the case may be and specimen signatures of authorised person to be attached.
- (2) Six copies of the passport size signed colour photographs of the occupier to be attached.
- (3) Any change in the above information should be immediately communicated to the licensing authority and authority renewing the licence.

Statutory Warning : Mishandling and misuse of explosives shall constitute serious criminal offence under the law.

FORM AE-5

(See rule 113 of the Explosives Rules, 2008)

APPLICATION FOR APPROVAL OR GRANT OF AMENDMENT OR TRANSFER OF LICENCE IN FORM LE-5 AS PER ARTICLE 5(a) to 5(f) OF PART 1 OF SCHEDULE IV

Please affix a recent passport size colour photograph of occupier with signature in front

Purpose (Please tick): Approval ☐ Grant ☐ Amendment ☐ Transfer ☐

1. Type of applicant: Individual ☐ Company ☐ Partnership Firm ☐ Society ☐ Proprietary Firm ☐

2. Applicant's details:

(a) Name in which licence is sought (see note below)-----

(b) AADHAR No/CIN No/Firm registration No.-----

(c) Age in case of individual-----

(d) Postal address-----

City-----District-----State-----PIN Code-----

Phone No with STD code -----Mobile No-----E-mail-----

3. Address of the proposed premises:

Survey/Gat No/Khasra No----- Town/Village-----

Mandal/Taluk/Tehsil----- Railway Station-----

Police Station----- District-----

State-----PIN Code-----

4. Qualification and experience of applicant: -----

5. Quantity of explosives proposed to be possessed:

Sr No	Name and description of explosives	Class & Div.	Proposed quantity to be possessed at any one time (in Kg/Nos/Meters)

6. If the explosives are to be used, furnish the particulars related to the purpose of use-----**7. (a) Particulars of the other licences under Explosives Act, 1884, if any held by the applicant during the last 10 years.-----**(b) Was any licence cancelled or not renewed? Yes ☐ No ☐

If yes give details:-----

16. (a) Has the applicant been convicted under any offence or ordered to execute bond underChapter VIII of Code of Criminal Procedure, 1973, during the last 10 years? Yes ☐ No ☐

(b) If yes, give details-----

17. List of documents attached:

I hereby certify that the above particulars given by me are correct.

Date: -----

Signature of applicant in the box above

Place: -----

Full name -----

(Authorised person in case of company)

Notes: Please see the rules for the purpose and documents to be attached.

- (1) In case where application is made by a person other than individual, the name and address of the occupier as per rule 2 and Directors or partners or members, as the case may be and specimen signatures of authorised person to be attached.
- (2) Six copies of the passport size signed colour photographs of the occupier to be attached.
- (3) Any change in the above information should be immediately communicated to the licensing authority and authority renewing the licence.

Statutory Warning : Mishandling and misuse of explosives shall constitute serious criminal offence under the law.**FORM AE-6**

(See rule 113 of the Explosives Rules, 2008)

APPLICATION FOR APPROVAL OR GRANT OF LICENCE FOR PUBLIC DISPLAY OF FIREWORKS**Purpose (Please tick):** Approval ☐ Grant ☐
1. Type of applicant: Individual ☐ Company ☐ Partnership Firm ☐ Society ☐
 Proprietary Firm ☐

Please affix a recent passport size colour photograph of occupier with signature in front

2. Applicant's details:

- (a) Name in which licence is sought (see note below)-----
- (b) AADHAR No/CIN No/Firm registration No-----
- (c) Age in case of individual-----
- (d) Postal address-----
-
- City-----District-----State-----PIN Code-----
- Phone No with STD code -----Mobile No-----E-mail-----

3. Address of the proposed premises:

- Survey/Gat No/Khasra No----- Town/Village-----
- Mandal/Taluk/Tehsil----- Railway Station-----
- Police Station----- District-----
- State-----PIN Code-----

4. Qualification and experience of applicant and technical personnel employed by him:

(Give individual's details and attach separate sheet if required)

5. Name, qualification and experience of the person supervising the display:-----

6. Description and quantity of Fireworks to be used:-----

7. Particulars of the supplier of the fireworks:

- (a) Name-----
- (b) Address -----
- (c) Particulars of licence-----

8. Location of the place where the Fireworks to be stored prior to display:-----

9. (a) Description and quantity of Fireworks to be displayed-----

(b) Date and time of display-----

(c) Location of the place where display will be held:-----**10. 10. (a)**

10. (a) Particulars of the other licences under Explosives Act, 1884, if any held by the

applicant during the last 10 years.-----

(b) Was any licence cancelled or not renewed? Yes ☐ No ☐

If yes give details:-----

11. (a) Has the applicant been convicted under any offence or ordered to execute bond under

Chapter VIII of Code of Criminal Procedure, 1973, during the last 10 years? Yes ☐ No ☐

(b) If yes, give details-----

12. List of documents attached:

I hereby certify that the above particulars given by me are correct.

Date: -----

Signature of applicant in the box above

Place: -----

Full name -----

(Authorised person in case of company)

Notes: Please see the rules for the purpose and documents to be attached.

- (1) In case where application is made by a person other than individual, the name and address of the occupier as per rule 2 and Directors or partners or members, as the case may be and specimen signatures of authorised person to be attached.
- (2) Six copies of the passport size signed colour photographs of the occupier to be attached.
- (3) Any change in the above information should be immediately communicated to the licensing authority and authority renewing the licence.

Statutory Warning : Mishandling and misuse of explosives shall constitute serious criminal offence under the law.

FORM AE-7

(See rule 113 of the Explosives Rules, 2008)

APPLICATION FOR APPROVAL OR GRANTOR AMENDMENT OR TRANSFER OF LICENCE FOR TRANSPORT OF EXPLOSIVES IN A ROAD VAN OR FREIGHT CONTAINER MOUNTED ON A FIXED CHASSIS MOTOR TRUCK OR GOOSE NECK TYPE SEMI TRAILER VEHICLE

Please affix a recent passport size colour photograph of occupier with signature in front

Purpose (Please tick): Approval ☐ Grant ☐ Amendment ☐ Transfer ☐

1. Applicant's details:

(a) Name in which licence is required to be granted (see note below)-----

(b) Status (Please tick) Individual ☐ Company ☐ Partnership Firm ☐ Society ☐
Proprietorship Firm ☐

(c) Age (in case of individual)-----Adhaar No. -----

(d) Postal address-----

City-----District-----State-----PIN Code-----

(e) Phone no with STD code-----Mobile No-----E-mail-----

2. Address of premises where explosives van is to be normally stationed:-----

3. Kind and quantity of explosives to be carried:-----

4. Description of road van/Freight container:

(a) Make & Model----- (b) Registration No----- (c) Engine No----- (d) Chassis No. -----

(e) Trailer chassis no & make (if applicable)-----

(f) Container identification No.-----

- (g) Details and description of freight container-----
 (h) Name of registered owner of the vehicle-----
 (i) Gross vehicle weight (in kg)----- (j) Unladen weight (in kg)-----
 (k) Carrying capacity permitted by Regional Transport Authority (in kg)-----

5. Particulars of the other licences under Explosives Act, 1884, if any held by the applicant during the last 10 years:-----

6. Was any licence cancelled or not renewed? Yes

☐
☐

If yes give details:-----

7. Has the applicant been convicted under any offence or ordered to execute bond under Chapter VIII of Code of Criminal Procedure, 1973, during the last 10 years. Yes

☐
☐

If answer is yes to any of the question above, give details: -----

8. List of documents attached:

I hereby certify that the above particulars given by me are correct.

Date: -----

Signature of applicant in the box above

Place:-----

Full name -----

(Authorised person in case of company)

Notes : Please see the rules for the purpose and documents to be attached.

- (1) In case where application is made by a person other than individual, the name and address of the occupier as per rule 2 and Directors or partners or members, as the case may be and specimen signatures of authorised person to be attached.
- (2) Six copies of the passport size signed colour photographs of the occupier to be attached.
- (3) Any change in the above information should be immediately communicated to the licensing authority and authority renewing the licence.

Statutory Warning: Mishandling and misuse of explosives shall constitute serious criminal offence under the law.

FORM AE-8

(See rule 113 of the Explosives Rules, 2008)

APPLICATION FOR GRANT OF LICENCE FOR IMPORT OR EXPORT OF EXPLOSIVES

Please affix a recent passport size colour photograph of occupier with signature in front

Purpose (Please tick): (Please tick) Import of explosive ☐ Export of explosives ☐

1. Type of applicant: Individual ☐ Company ☐ Partnership Firm ☐ Society ☐ Proprietary Firm ☐

2. Applicant's details:

- (a) Name in which licence is sought-----
- (b) AADHAR No/CIN No/Firm registration No.-----
- (c) Age in case of individual-----

(d) Postal address-----

City-----District-----State-----PIN Code-----

Phone No with STD code -----Mobile No-----E-mail-----

3. Details of import and export of explosives:

Sr No	Details	
1	Export: a) Generic Name(s), Authorized Name and Class of explosives, proposed for export. b) Kinds & Quantities of explosives proposed for export	
	Import: a) Name & description of explosives, UN No, Hazard Division & Compatibility Group of explosives proposed for import. b) Kinds & Quantities of explosives proposed for import	
2	a) Name and address of consignee in case of export b) Name and address of consignor in case of import	
3	Mode of export/import	Sea / Air / Road
4	a) Place or port of dispatch in case of Export by Sea/Air. b) Name of the Indian Border of dispatch in case of Export by Road. c) Country of Foreign port of loading in case of import.	
5	a) Licence particulars of the premises from where explosives will be exported. b) Licence particulars of the premises where explosives will be stored after import.	
6	Are the explosives to be imported/exported are authorised, if yes please give details	
7	The proposed export/import consignment is break bulk or containerized:	

4. (a) Has the applicant been convicted under any offence or ordered to execute bond under

Chapter VIII of Code of Criminal Procedure, 1973, during the last 10 years? Yes ☐ No ☐

(b) If yes, give details-----

5. (a) Have you held any licence under Explosives Act, 1884 during the last 10 years? Yes ☐ No ☐

(b) If yes, was any licence cancelled or not renewed? Yes ☐ No ☐

(c) If, yes, give details-----

6. List of documents attached:

I hereby certify that the above particulars given by me are correct.

Date-----

Signature of applicant in the box above

(Authorised person in case of a company)

Place-----

(Name in full)-----

Notes : Please see the rules for the purpose and documents to be attached.

- (1) In case where application is made by a person other than individual, the name and address of the occupier as per rule 2 and Directors or partners or members, as the case may be and specimen signatures of authorised person to be attached.
- (2) Six copies of the passport size signed colour photographs of the occupier to be attached.
- (3) Any change in the above information should be immediately communicated to the licensing authority and authority renewing the licence.

Statutory Warning : Mishandling and misuse of explosives shall constitute serious criminal offence under the law.

FORM AE-9

(See rule 113 of the Explosives Rules, 2008)

APPLICATION FOR GRANT OR AMENDMENT OR TRANSFER OF LICENCE IN FORM LE-9 (Special)

Please affix a recent passport size colour photograph of occupier with signature in front

Purpose (Please tick): Grant ☐ Amendment ☐
1. Type of applicant: Individual ☐ Company ☐ Partnership Firm ☐ Society ☐
 Proprietary Firm ☐
2. Applicant's details:

(a) Name in which licence is sought (see note below)-----

(b) AADHAR No/CIN No/Firm registration No.-----

(c) Age in case of individual-----

(d) Postal address-----

City-----District-----State-----PIN Code-----

Phone No with STD code -----Mobile No-----E-mail-----

3. Address of the proposed premises:

Survey/Gat No/Khasra No-----Town/Village-----

Mandal/Taluk/Tehsil-----Railway Station-----

Police Station-----District-----

State-----PIN Code-----

4. Qualification and experience of applicant and technical personnel employed by him.

(Give individual's details and attach separate sheet if required)

5. Details of explosives proposed to be manufactured:

Name and description of explosives	Class & Div.	UN classification & No.	Proposed per day production in MT/M.Nos/M. Meters)	Proposed annual production (in MT/M.Nos/M. Meters)	Annual capacity as per Industrial Licence (in MT/M.Nos/M. Meters)

6. (a) Particulars of the other licences under Explosives Act, 1884, if any held by the applicant during the last 10 years.-----

(b) Was any licence cancelled or not renewed? Yes ☐ No ☐

If yes give details:-----

7. (a) Has the applicant been convicted under any offence or ordered to execute bond under

Chapter VIII of Code of Criminal Procedure, 1973, during the last 10 years? Yes ☐ No ☐

(b) If yes, give details-----

8. List of documents attached:

I hereby certify that the above particulars given by me are correct.

Date: -----

Place-----

Signature of applicant in the box above

Full name -----

(Authorised person in case of company)

Notes: Please see the rules for the purpose and documents to be attached.

(1) In case where application is made by a person other than individual, the name and address of the occupier as per rule 2 and Directors or partners or members, as the case may be and specimen signatures of authorised person to be attached.

(2) Six copies of the passport size signed colour photographs of the occupier to be attached.

(3) Any change in the above information should be immediately communicated to the licensing authority and authority renewing the licence.

Statutory Warning : Mishandling and misuse of explosives shall constitute serious criminal offence under the law.

FORM AE-10

(See Rule 113 of the Explosives Rules, 2008)

**APPLICATION FOR GRANT OF AMENDMENT OF SHOT FIRER'S CERTIFICATE
TO CARRY OUT BLASTING OF EXPLOSIVES IN AREAS NOT COMING UNDER
MINES ACT, 1952**

Purpose (Please tick): Grant ☐ Amendment ☐

1. Applicant's details:

(a) Name-----

Please affix a recent passport size colour photograph of occupier with signature in front

- (b) Father's name-----
 (c) Age (attach documentary evidence) -----
 (d) Postal address -----

City-----District-----State-----PIN Code-----

Phone No with STD code -----Mobile No-----E-mail-----

3. Residential address (attach address proof):

House No/Plot No----- Town/Village-----

Mandal/Taluk/Tehsil-----Police Station-----

District----- State-----PIN Code-----

4. Qualification and experience (attach documentary evidence): -----

5. Whether the candidate is employed; if yes, name and address of the employer:-----

6. Licence details of magazine licence holder with whom shot firer to be attached:-----

7. Field of specialisation:-----

8. Particulars of No Objection Certificate:

(a) Certificate issued by----- (b) Certificate No & date:-----

9. Particulars of category and type for which certificate is required (see note below):-----

10. List of documents attached:

I certify that

(i) The above particulars are true and correct.

(ii) I am aware that permit to conduct blasting operations required to be obtained by me from the local authority before conducting blasting.

(iii) I am aware that if explosives are illegally transferred by me to any unauthorised person (s), it may lead to terrorist activity for which I shall commit a punishable offence.

(iv) Announcement before blasting and after sunrise and before sunset.

(v) I am aware that I am not authorized to purchase and store explosives.

Date: -----

Signature of applicant in the box above

Place: -----

Full name -----

Notes: (1) Please enclose self certified copies of certificates showing date of birth, educational qualification, experience and medical fitness certificate.

(2) Category and type of blasting as per rule 107:

Class	Category	Type of blasting permitted
A	Unlimited	All type of blasting

B	General aboveground	All phase of aboveground blasting operation
C	General underground	All phase of underground blasting operation
D	Demolition	All phases of blasting in demolition projects
E	Seismic	All phases of blasting in seismic prospecting or production
F	Agricultural	All phases of blasting in agriculture and well sinking
G	Special	Blasting for special purpose not covered under the above categories

Statutory Warning : Mishandling and misuse of explosives shall constitute serious criminal offence under the law.

FORM AE-11

(See rule 113 of the Explosives Rules, 2008)

APPLICATION FOR GRANT OR AMENDMENT OF FOREMAN'S CERTIFICATE SUPERVISE MANUFACTURE OF FIREWORKS OR SAFETY FUSE

Please affix a recent passport size colour photograph of occupier with

Purpose (Please tick): Grant ☐ Amendment ☐

1. Applicant's details:

(a) Name -----
 (b) Father's name:-----
 (c) Age (attach documentary evidence) -----
 (d) Postal address-----

 City-----District-----State-----PIN Code-----
 Phone No with STD code -----Mobile No-----E-mail-----

3. Residential address (attach address proof):

House/Plot No:----- Town/Village-----
 Mandal/Taluk/Tehsil.-----Police Station-----
 District----- State-----PIN Code-----

4. Qualification and experience (attach documentary evidence): -----

5. Field of specialization:-----

6. (a) Name and address of the factory where the applicant has acquired experience:-----

(b) Particulars of the process or operation in which the applicant has gained experience:---

7. (a) Name and address of the factory where the applicant is working at present:-----

(b) Capacity in which the applicant is working at present:-----

8. Any other information:-----

9. List of documents attached:

I certify that the above particulars are true and correct.

Date: -----

Signature of applicant in the box above

Place: -----

Full name -----

Notes : Please enclose the following documents with the application

- (i) Four copies of signed passport size colour photograph.
- (ii) Experience certificate
- (iii) Certificate of age proof
- (iv) Medical certificate stating that the applicant is not handicapped and having good health

Statutory Warning : Mishandling and misuse of explosives shall constitute serious criminal offence under the law. ";

(ii) in FORM AE-12,-

(a) against serial number 2, in item no (c) for the words starting with "Police Station" and ending with "Steamer Ghat", the words "Mobile number" shall be substituted;

(iii) for PART-2, the following PART shall be substituted, namely:-

"PART 2

FORMAT OF NO OBJECTION CERTIFICATE

(See rule 102 and 103 of the Explosives Rules, 2008)

Subject: No Objection Certificate under the Explosives Rules, 2008

No:-----

Date:-----

With reference to the application in Form AE-12 of Explosives Rules, 2008 dated-----submitted by Shri/M/s -----and in pursuance of rules 102 and 103 of the Explosives Rules, 2008, there is no objection for granting the licence under the Explosives Rules, 2008 to Shri/M/s-----of address-----for the following purpose, kind and quantities of explosives in the premises situated at Survey No/Gat No/Khasra No.-----, village -----taluka/tehsil-----District-----State-----as shown in the site plan duly endorsed and enclosed herewith.

1. **Purpose** (Note: write only one purpose corresponding to one Article No. as stated in table of purposes and authority in Part 1 of Schedule IV annexed to the Explosives Rules, 2008):
2. **Kind and quantities of explosives:**

S. No	Name of explosives	Class & Division	Quantity
1			
2			
3			

3. The following particulars have been verified/considered while issuing this On Objection Certificate;
 - (a) The antecedents of the applicant (in case of individual or proprietary firm/partner or office (in case of partnership firm/company) or Directors (in case of company) or office bearers in case of society or association and also occupier of the premises.

- (b) The lawful possession of the site by the applicant.
- (c) Interest of public.
- (d) Requirement of explosives for use in mines or quarries (possessed by the applicant) or in the area proposed by the licensee have been considered.
- (e) Genuineness of purpose.

Signature of the no objection certificate issuing authority with his office seal (District Magistrate or Director General of Mines Safety)

Note: (1) Genuineness of the purpose means relating to manufacture –whether there is need for manufacture of the explosives for lawful constructive use in the area or state or country or for export purpose.

- (2) Verification of antecedents and Lawful possession of the site by applicant as stated in serial nos. (a) and (b) are not applicable in case of 'No Objection Certificate' granted by Director General of Mines Safety."

(iv) in PART 3,-

(A) in FORM LE-1,-

- (a) in serial number 1, for the words starting with "Police Station" and ending with "Steamer Ghat", the words "Mobile number" shall be substituted;
- (b) after serial number 1, the following serial number shall be inserted, namely:-
"1 (a) Name of the occupier -----";

(B) in FORM LE-2,-

- (a) in serial number 1, for the words starting with "Police Station" and ending with "Steamer Ghat" the words "Mobile number" shall be substituted;
- (b) after serial number1, the following serial number shall be inserted, namely:-
"1 (a) Name of the occupier -----";

(C) in FROM LE-3,-

- (a) in item (a), for the words and figures "exceeding 25 kilogrammes", the words and figures "exceeding 50 kilogrammes" shall be substituted;
- (b) in item (d), the words, "or safety fuse not exceeding 50000 meters", shall be omitted;
- (c) in serial number1, for the words starting with "Police Station" and ending with "Steamer Ghat", the words "Mobile number" shall be substituted;
- (d) after serial number1, the following serial number shall be inserted, namely:-
"1 (a) Name of the occupier -----";
- (e) in serial number 4, in item (b), after the words "under Article", the figure and letter, "3(a)," shall be inserted;

(D) in FORM LE-4,-

- (a) in serial number 1, for the words starting with "Police Station" and ending with "Steamer Ghat", the words "Mobile number" shall be substituted;
- (b) after serial number1, the following serial number shall be inserted, namely:-
"1 (a) Name of the occupier-----";

(E) in FORM LE-5,-

- (a) in item (b), for the word "Chinese crackers", the word "Chorsa crackers" shall be substituted;
- (b) in item (f), for the word "Chinese crackers ", the word "Chorsa crackers" shall be substituted;

(c) in serial number 1, for the words starting with "Police Station" and ending with "Steamer Ghat", the words "Mobile number" shall be substituted;

(d) after serial number 1 the following serial number shall be inserted, namely:-

"1 (a) Name of the occupier -----";

(F) in FORM LE-6,

(a) in serial number 1, for the words starting with "Police Station" and ending with "Steamer Ghat", the words "Mobile number" shall be substituted;

(b) after serial number 1, the following serial number shall be inserted, namely:-

"1 (a) Name of the occupier-----";

(G) in FORM LE-7,-

(a) in the heading, after the words "IN A ROAD VAN", the words "OR FREIGHT CONTAINER MOUNTED ON MOTOR TRUCK OR GOOSE NECK TYPE SEMI-TRAILER VEHICLE" shall be inserted;

(b) in serial number 1, for the words starting with "Police Station" and ending with "Steamer Ghat", the words "Mobile number" shall be substituted;

(c) after serial number 1, the following serial number shall be inserted, namely:-

"1 (a) Name of the occupier-----";

(d) in the CONDITIONS,-

(i) in serial number (9), for the words "explosives van", the words "road van or freight container mounted on motor truck or goose neck type semi trailer vehicle" shall be substituted;

(ii) in serial number (13), for the "letters and figure "RE-5", the letters and figure "RE-6" shall be substituted;

(H) in FORM LE-8,-

(a) in the heading, the words "OTHERWISE THAN BY LAND" shall be omitted;

(b) in serial number 1, for the words starting with "Police Station" and ending with "Steamer Ghat", the words "Mobile number" shall be substituted;

(c) after serial number 1, the following serial number shall be inserted, namely:-

"1 (a) Name of the occupier-----";

(d) in the CONDITIONS,-

(i) in serial number (1), after the word "imported", the words, "or exported" shall be inserted;

(ii) in serial number (2), after the word "imported", the words, "or exported" shall be inserted;

(iii) for serial number (3), the following serial number shall be substituted, namely:-

"(3) All explosives imported or exported under this licence shall be packed and marked in accordance with the provisions of rule 15 and Part 2, under Schedule

II of Explosives Rules, 2008.";

(I) in FORM LE-9,-

(a) in serial number 1, for the words starting with "Police Station" and ending with

- "Steamer/ Ghat", the words "Mobile number" shall be substituted;
- (b) after serial number 1, the following serial number shall be inserted, namely:-
- "1 (a) Name of the occupier-----";
- (v) in PART 4, in 'CONDITIONS OF VARIOUS LICENCES',-
- (a) in Set-I, in the opening paragraph, after the words "manufacture fireworks", the words "other than aerial fireworks" shall be inserted;
- (b) in Set-II-
- (i) in the opening paragraph, after the words "manufacture fireworks", the words "or gunpowder or both" shall be inserted;
- (ii) in CONDITIONS, under the heading "General",-
- (a) in condition (6), the words "safety fuse/micro cord" shall be omitted;
- (b) in condition (9), the words "flame and/or" shall be omitted;
- (c) after condition (10), the following condition shall be inserted, namely:-
- "(10A) Nothing contained in serial number (1) shall be applicable to ingredients used for manufacture of explosives";
- (d) in condition (13), after the words "shall be conversant with", the words "on site emergency plan and" shall be inserted;
- (e) in condition (18), for the word "storehouse", the word, "magazine" shall be substituted;
- (f) after condition (24), and heading "Special conditions for fireworks" the following conditions shall be inserted, namely:-
- "24(a) Concrete tables with smooth surface and raised borders shall be provided in mixing and filling rooms;
- 24(b) Copper plates shall be installed outside mixing, filling sheds for dissipation of static charge of the human body;
- 24(c) The workers employed in the fireworks factory shall wear cotton clothes;
- 24(d) Do's and Dont's shall be prominently displayed in the local language as per the requirements of the particular process in each factory shed;
- 24(e) Fireworks factories registered under the Factories Act 1948 shall employ Safety Officer in accordance with the said Act and relevant Rules. However, the Fireworks factories not registered under the Factories Act, shall appoint one of the supervisors as nodal safety officer of the factory;
- 24(f) Smoothened pathways connecting all the manufacturing facilities shall be provided for the safe movement of trolley or low-level carts transporting finished or semi finished fireworks or ingredients.";
- (g) after condition (25), the following condition shall be inserted, namely:-
- "(25a) The Mixing /filling/pellet making/pellet loading/shell loading /pellet shaded drying platform/intermediate pellet drying buildings/ transit shed for pellet for aerial fireworks shall be surrounded by a blast wall as per specification no. 3 under Schedule-VII.";

(h) in condition (29), for the words "One drying platform shall be provided", the words "One or more drying platform shall be provided depending on the process" shall be substituted;

(i) in condition (38), for the word "amerces", the word "amorces" shall be substituted;

(j) in condition (39), for the words and figures "amerces or paper caps shall be in a proportion not exceeding 4.54 mgs.", the words and figures "amorces or paper caps shall be in a proportion not exceeding 4.54 grams." shall be substituted;

(k) in condition (66), after the word "fireworks", the words "and sparklers" shall be inserted;

(l) after condition (80), the following shall be inserted, namely:-

"Special conditions for Gunpowder

- (81) The total quantity of gunpowder in the premises or any part thereof shall not exceed at any one time the quantity for which licence has been granted.
- (82) Process buildings or sheds viz, mixing, pounding, corning, sieving, blending, transit building and drying platforms shall observe inner safety distance to and from any process building and an outer safety distance from the fence as specified in relevant tables of Schedule VIII.
- (83) The electrically operated equipments like ball mill, corning machine, pounding machine, sieving machine, etc., shall be earthed effectively and such operations shall be made remote by providing limit switch on the door of the respective building.
- (84) No chlorate shall be used in the manufacture of gunpowder.
- (85) Work in each building or shed shall be carried out strictly in accordance with the safe working procedures.
- (86) The interior of the compartments of the building in which gunpowder is manufactured or handled and the machinery or fittings therein shall be thoroughly cleaned at the end of day's work.
- (87) Sweepings from the compartments of the building in which gunpowder is manufactured or handled shall be carefully collected and disposed of safely and the effluent shall be discharged only after proper treatment.
- (88) All incidents shall be recorded including the near-misses and shall be reviewed periodically.
- (89) Only non-ferrous tools and implements shall be used where ever gunpowder is manufactured or handled.";

(c) in Set-III, after condition (11), the following conditions shall be inserted, namely:-

"(12) The licensee shall keep records and accounts of all ANFO explosives manufactured in Form RE-2 and submit accounts daily through online system of licensing authority and shall exhibit his books and records to any of the officers authorised under the rules whenever such officer may call upon him to do so.

(13) The submission of manufacturing record through online system shall come into force from the date specified by the licensing authority";

(d) in Set-IV, after Condition (9), the following condition shall be inserted, namely:-

“(10) The licensee shall keep records and accounts of all LOX explosives manufactured in Form RE-2 and shall exhibit his books and records to any of the officers authorised under the rules whenever such officer may call upon him to do so.”;

(e) in Set-V, in condition (12), after the words “shall keep records and”, the words “submit accounts daily through online system of the licensing authority” shall be inserted;

(f) in Set-VI, after condition (13), the following condition shall be inserted, namely:-

“(14) The licensee shall keep records and accounts of all explosives manufactured in Form RE-2 and submit accounts daily through online system of licensing authority and shall exhibit his books and records to any of the officers authorised under the rules whenever such officer may call upon him to do so.”;

(g) in Set-VII,-

(a) in condition (10), for the letters, figures and words “RE-2 and RE-4”, the letters, figures and words “RE-3 and RE-5” shall be substituted;

(b) in condition (16), for the word “quarter”, the word “month” shall be substituted;

(h) in Set-VIII,-

(i) in condition (11), after the letters and figures “RE-5”, the word, letters and figures, “and RE-13” shall be inserted;

(ii) in condition (14), for the word “quarterly”, the word, “monthly” shall be substituted;

(iii) after condition (28), the following conditions shall be inserted, namely:-

"29. The licensee for possession and use of explosives shall issue Pass for use of explosives in Form RE-13 and return of unused explosives (if any) through online system of the licensing authority.

30. The licensee for possession for sale/use of explosives shall issue indent in RE-11, Pass for sale of explosives in RE-12 and Pass for use of explosives in RE-13 through online system made available by the licensing authority.”;

(i) in Set-IX,-

(i) in the opening paragraph the words “or safety fuse and not exceeding 50000 meters, shall be omitted;

(ii) for condition 2, the following condition shall be substituted, namely:-

"(2) The licensee shall purchase authorised fireworks as mentioned in the list of authorised explosives from a licensed magazine or shop”;

(iii) in condition (10), for the words, letters and figures “manufactured and of all stock in hand in Forms RE-2 and RE-3”, the words, letters and figures “purchased and of all stock in hand in Forms RE-3 and RE-4” shall be substituted;

(j) in Set-XI,-

(i) in the opening paragraph, for the word “Chinese”, the word “Chorsa” shall be substituted;

(ii) in condition (5), for the words “premises or machinery, tools or apparatus”, the words “premises” shall be substituted;

(iii) in condition (7), for the words “factory or company for possession and sale from the”, the words, “magazine or” shall be substituted;

(iv) in condition (12), for the word “sale”, the word “sold” shall be substituted;

while transit from Use magazine covered under Licence No. :, in Form:, situated at : to place of use <u>covered under Mines Act, 1952</u> /other than mines at :											
3.	The explosives are being transported by road van number..... having licence number..... valid upto.....or other mode of transport (specify)-----										
3.1	AND The Detonators are being transported by road van number.....having licence number valid upto-----or other mode of transport (specify)										
4.	Name of Agent of Mine /Owner/authorised person of site of use										
5.	Full Address of Site of Use										
6.	No. of holes to be fired										
7.	Purpose of use										
8.	Approximate distance between magazine and site of use										
Signature Name of Blaster/Shot Firer: Certificate No.:			Signature Name of the Agent of Mine/Owner/authorised person of place of use				Signature Authorized Signatory) For (Licensee) Licence Number Licence Form				
Important Notes : 1. The quantity of Explosives issued should be the quantity likely to be used during the day. 2. The Place of use may be at a distance from magazine so that if any explosives is left un-used the same can be transported back and deposited in the magazine referred in Sr. No. 2 of above the same day before the sunset as per Rule 90(4). If so entries should also be made online regarding the Return.											
Part – B											
To be filled in case explosives are left unused and to be deposited in the Magazine :											
S. No.	Brand Name (Brand ID)	Class	Div.	Quantity Issued for Use	Quantity Returned	Quantity Actually Used	Unit	Nos. of Package	Batch Nos.	Batch Date	
1											
2											
Signature Name of Blaster/Shot Firer: Certificate No.:			Signature Name of the Agent of Mine/Owner/ authorized person of place of use				Signature (Authorized Signatory) For(Licensee) Licence Number..... Licence Form..... ".				

(vii) in PART-6, after the words "signature of", the words "Controller of Explosives/" shall be inserted;

47. In the principal rules, in Schedule-VI, in Part 2, under the heading 'SAFETY PROVISIONS FOR BULK MIXING DELIVERY (BMD) VEHICLES', after serial number (17), the following serial number shall be inserted, namely:-

“(18) The following safety devices shall be provided:

(1) Emulsion Mixer:

(a) Bursting Disk – fitted before discharge point.

(2) Progressive cavity pumps:

(a) High/Low Pressure Transmitter – to be fitted in the delivery line very close to the pump and not more than 300 mm away

(b) Bursting Disk - to be fitted in the delivery line as close as possible to high/low pressure transmitter.

(c) Dry running protection connected to temperature controller – to be fitted in the stator of pump.

(d) Temperature trip to be provided at a maximum distance of 25 mm from the tip of the rotor of the Progressive cavity Pump towards delivery end.

(3) All Centrifugal pump:

(a) Mechanical seal

(b) Temperature controller

(4) Oxidiser blend storage tank :

(a) Temperature controller

(5) Pump truck:

(a) High pressure, Low pressure Trip switch in the final product pump

(b) Dry running protection linked to temperature in the final product pump

(c) Bursting Disk in the final product pump

(d) Air/Water flushing system – injection point just before Gassing Agent injection point.

(6) Periodic maintenance:

(a) All safety devices functioning should be checked daily before starting the operation.

(b) Periodic opening, cleaning and refitting of all safety devices should be done on monthly basis.

(19) (1) All new Site Mixed Explosives plant /Silo approved subsequent to publication of these rules, shall observe an outer safety distance of 45 meter all around.

(2) The maximum distances allowed for vehicles shall be as follows:

(a) 1500 km. (one way) from mother plant to Silo Plant for transfer of matrix.

(b) 250 km. (one way) for BMD vehicles from mother plant / Silo to mine site.

(3) The new Silo locations shall observe following requirements-

(a) Capacity of a Silo shall not exceed 40 MT.

(b) Maximum number of Silo at one site shall not exceed three.

(c) The minimum distance between adjacent Silos shall not be less than 1.5 meter or 0.5 times of diameter of silo whichever is higher.".

48. In the principal rules, in Schedule VII,-

(a) in specification 1, in serial number 1,-

(i) in the sub-heading 'C. Construction', in item (c) for the words "windows – ventilators", the words, "Windows and ventilators" shall be substituted;

(ii) in the sub-heading 'D. Partition Walls', in the opening paragraph, for the word "processed", the word "process" shall be substituted;

(b) in specification 2, in serial number 3, in sub-heading 'Type 'B' magazine', after the words "portable magazine", the words "for temporary purpose only" shall be inserted;

(c) in specification 3,-

(i) in serial number 1,-

(A) in the sub-heading 'C. Blast wall', after the words and figure, "man limit of 2", the words and figures "persons. In case of filling/pellet loading/shell loading buildings for aerial fireworks, the height of the blast wall shall be 2.76 meters and the width shall be 0.5 metre wider than the door opening on both sides. The blast wall shall be extended by 90 cm towards the end with a turn angle of 45 degrees. A robust Brass or non-corrodible metal chicken wired mesh roof shall be provided covering the shed and the blast wall in all the directions. Such blast wall shall be provided around the sheds." shall be inserted;

(B) in sub-heading 'D. Drying Platform',-

I. in paragraph 2, after the words and figures "1 to 1.5 meters", the words "In case of rocket/shells with lifting charge, the entire area of drying platform shall be covered with hemi-spherical 1mm brass or non-corrodible metal wire mesh and they shall be hooked to the ground appropriately to avoid its lifting." shall be inserted;

II. in paragraph 4, for the words "The construction of the screen/blast wall shall be as per specification 6 attached to this schedule.", the words, "The screen wall shall be 23 cm thick made of cement and brick." shall be substituted;

(C) after sub-heading 'E. Transit Building' and the entries relating thereto, the following sub-heading and entries shall be inserted, namely:-

"F. Raw material Store:

(a) Sulphur storage room shall be a separate room maintaining minimum 3 meters distance all around.

(b) Aluminium storage shed shall be a separate room with 3 meters safety distance all around. The room shall also have a box type projection at the entrance (sun shade with side parapet wall).

(c) Dedicated Charcoal room and Oxidiser's rooms shall be provided having 3 meters safety distance all around.";

(ii) in serial number 2, in paragraph 2,-

(A) for the word "storehouse", the word "magazine" shall be substituted;

(B) in item (e), after the words "The magazine shall", the words "be single storied building with 34 centimeters thick walls built of brick or stone mortar, or concrete and shall" shall be inserted;

(C) in item (h), for the word, "amerces" the word "amorces" shall be substituted;

(D) in item (J), for the words "amerces or colour matches which contain chlorate shall be kept under the store house", the words "amorces or colour matches which contain chlorate shall be kept under the magazine" shall be substituted."

49. In the principal rules, in Schedule VIII,-

(a) in Notes-(1), for the word "tow", the word "two" shall be substituted;

(b) for "Table-6" the following Table shall be substituted, namely:-

"Table-6

Safety distance (in meters) to be observed by various process and storage sheds of fireworks manufacturing factory

From	Explosives	Man	To	To	To	To	To	To	To	transit shed	Transit shed	To	To	raw	To
------	------------	-----	----	----	----	----	----	----	----	--------------	--------------	----	----	-----	----

	Limit of the shed (in kg)	Limit	mixing/filling shed	dipping shed	drying platform	manuf-acturing shed	fuse wrapping shed	(fireworks) capacity of (in kg)			(quick match/micro cord /fuse)of capacity (in kg)			transit shed (pellet) of capacity (in kg)	material shed	dwelling house, protected works or outside safety distances
								300	400	500	100	150	200	50		
Mixing/filling shed	5	2	18	18	18	18	18	30	34	37	21	24	26	18	45	45
Dipping shed	5	2	18	12	18	12	12	30	34	37	21	24	26	18	45	45
Drying platform	25	2	18	12	12	12	12	30	34	37	21	24	26	18	45	45
Drying platform (Pellet)	15	2	18	18	18	18	18	30	34	37	21	24	26	18	45	45
Manuf-acturing shed	25	4	18	12	12	12	12	30	34	37	21	24	26	18	45	45
Fuse wrapping shed	10	2	18	12	12	12	12	30	34	37	21	24	26	18	45	45
Transit shed (fireworks)	300	2	30	30	30	30	30	30	34	37	30	30	30	30	45	45
	400	2	34	34	34	34	34	34	34	37	34	34	34	34	45	45
	500	2	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	45	45
Transit shed (quick match/micro cord /fuse)	100	2	21	21	21	21	21	21	34	37	21	24	26	21	45	45
	150	2	24	24	24	24	24	24	34	37	24	26	28	24	45	45
	200	2	26	26	26	26	26	34	34	34	26	28	30	26	45	45
Transit shed (pellet)	50	2	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	45	45
Raw material shed	X		45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	X	X

Note:-

1. The Transit building for semi-finished fireworks will have two compartments each of size 2.5 meters x 2.0 meters – one each for the storage of **light emitting** items like wheel, flowerpots etc. and another for storage of **sound emitting** items like crackers, atom bombs etc.
2. Separate licences shall be granted for manufacturing of conventional fireworks and aerial fireworks items*.
3. Separation-distance between outer fencings of two fireworks factories shall be at least 200m*.

***This will not be applicable to fireworks factories existing or already approved and under construction before publication of these Rules.”.**

[F. No. 2/9/2013-Expl.]

SHAIENDRA SINGH, Addl. Secy.

Note : The principal rule were published in Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number G.S.R. 907(E), dated the 29th December, 2008 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 65(E) dated 24th January, 2011 and G.S.R. 772(E), dated the 11th December, 2013.